लोक-सभा

शुक्रवार,
५ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-92
Fumigated
On 11.11.93
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८ -३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३ -४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५ -४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३–७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१–८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४–८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६० . ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९११ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न। श्री एम० एल० द्विवेदी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : ४६२।

अध्यक्ष महोदय : निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यहां नहीं हैं। इसको हम बाद में लेंगे। अगला प्रश्न--श्री राधा रमण।

नंगल में उर्वरक कारखाना

*४६३. **श्री राधा रमण :** क्या **उत्पादन** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से भाखड़ा नंगल क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के विषय में कोई अन्तिम निर्णय हो चुका है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : भाखड़ा नंगल क्षेत्र में लगभग २,००,००० टन अमोनियम नाइट्रेट प्रतिवर्ष उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले एक कारखाने की स्थापना करने का निश्चय किया गया है।

श्री राधा रमण : माननीय मंत्री ने पहले भी यही उत्तर दिया था। तब से क्या प्रगति हुई है?

श्री के० सी० रेड्डी : भाखड़ा-नंगल क्षेत्र में इस परियोजना के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में हमने कार्यवाही की है और मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार ने इस प्रयोजन के लिये दो भूमि खण्डों का अलग रखा जाना अधिसूचित किया है। अन्ततोगत्वा उचित परामर्शदाता का चुनाव करने की दृष्टि से हमने कुछ परामर्शदाताओं से सम्पर्क स्थापित किया है और आगे की सभी आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में इस परियोजना के प्रभारी के रूप में एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की है।

श्री राधा रमण : उनके विचार से कारखाना कब से चलने लगेगा?

श्री के० सी० रेड्डी : पहले तो हमें परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा और उसके पश्चात् परियोजना प्रतिवेदन पर विचार करना होगा। हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि कारखाना कब से चलने लगेगा।

श्री गोपाल राव : प्रति टन उत्पादन लागत क्या होगी? क्या यह लागत सिन्दरी उर्वरक से कम आयेगी?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ प्राक्कलन तैयार किये गये हैं और माननीय सदस्य

को वास्तविक आंकड़े देने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बर्मन ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, अब प्रश्न संख्या ४६२ लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मुझे विलम्ब से आने के लिये खेद है, श्रीमान् ।

जापान में प्रविधिक मिशन पदाधिकारी

*४६२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में भारतीय प्रविधिक मिशन के प्रधान श्री एस० सी० डे० की मृत्यु के सम्बन्ध में जो जापान में कामायशी में फांसी पर लटके हुए पाये गये थे, कोई जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस सम्बन्ध में कामायशी (जापान) की स्थानीय पुलिस तथा टोकियो के भारतीय दूतावास ने भी जांच की है। जापान सरकार से रिपोर्ट भेजने की प्रार्थना की गई है और उसक आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जो सूचना मिली है उससे ह मालूम होता है कि यह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की घटना है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आत्महत्या की जो खबर मिली है, वह किस सूत्र से मिली है ?

श्री करमरकर : करने की नहीं मिली है, बाद में मिली है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह खबर किस सोर्स से मिली है ?

श्री करमरकर : होटल में उनके एक साथी से सुबह साढ़े सात बजे उनकी मेड-सरवेन्ट कमरे में गई, तब मालूम हुआ उसी वक्त पुलिस वहां आ गई और सब लोग आ गए ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जापान की सरकार जो जांच-पड़ताल कर रही है, उसकी इत्तिला हम को कब तक मिल जायेगी ?

श्री करमरकर : अब तक जो सूचना हम को मिली है, उससे पता चलता है कि यह आत्महत्या का केस था । वह कुछ विकृत मस्तिष्क थे । इससे पहले दिन वह ठीक थे ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी उठे—

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं प्रश्न को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं । मैं यह जानना चाहता था कि जापानी सरकार द्वारा जांच होने के पश्चात् हमें कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या लाभ होगा ? अगला प्रश्न?

राज्य औद्योगिक उपक्रम

*४६४. **श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य औद्योगिक उपक्रमों में प्रबन्धकीय पदों की पूर्ति किस सेवा पदाली अथवा सूत्र से की जाती है; और

(ख) क्या तब से सरकार के अधीन भारतीय प्रबन्धकीय सेवा के गठन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया गया है ताकि ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिए समुचित संस्थाओं में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) विभाग द्वारा प्रबंधित राज्य औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्धकीय पदों पर भर्ती, सरकारी सेवाओं में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सीधे अथवा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के द्वारा की जाती है। उन उपक्रमों में जिनका प्रबन्ध स्वायत्तशासी अथवा अर्द्ध स्वायत्तशासी निकायों द्वारा किया जाता है, ऐसे पदों की पूर्ति निदेशक प्रबन्धक बोर्ड देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से, चाहे वे सरकारी सेवा, व्यापार, उद्योग अथवा वाणिज्य में हों, चनाव करता है।

(ख) विषय विचाराधीन है और कुछ ही समय में निर्णय किया जाने वाला है।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि हमारे सबसे बड़े औद्योगिक उपक्रमों में से एक में प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्धकीय अनुभव न होने के कारण दो मूल्यवान वर्ष इस कारण व्यर्थ निकल गए कि विदेश से भेजे गए विशेषज्ञ कुशलता से कार्य न कर सके ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रश्न बहुत अविशेष प्रकार का है। उन्होने औद्योगिक उपक्रम का नाम नहीं बताया है।

श्री बर्मन : मेरा तात्पर्य विज़ोग शिपयार्ड से है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : उसके विषय में वह अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्न के लिए वही उपयुक्त अवसर होगा।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि सरकार के पास कुशल प्रबन्धकीय कर्मचारी वर्ग न होना उद्योगों के सामाजीकरण की उन्नति में बाधक सिद्ध हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार यह समझती है और प्रबन्धकीय कर्मचारियों और प्रविधिक निरीक्षण कर्मचारियों की एक-एक पदाली बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्य हो रहा है और बहुत शीघ्र ही ये पदालियां बन जायेंगी।

श्री टी०, एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालयों में व्यापार प्रबन्ध का पाठ्यक्रम खोलने जा रही है जिससे कि इन सेवाओं में युवक भर्ती किए जा सकें ?

श्री सतीश चन्द्र : युवक विश्वविद्यालय से शिक्षित होकर निकलेंगे और व्यावहारिक प्रशिक्षण इनको कारखाने में प्राप्त होगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : वह मेरा प्रश्न नहीं समझे। मैं विश्वविद्यालय में व्यापार प्रबन्ध के विषय में कह रहा था।

श्री सतीश चन्द्र : इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा किन्तु नए भर्ती किए गए लोग उचित रूप से शिक्षित होंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि इन प्रबन्धकीय पदों के लोगों को कुछ विषयों में स्वयं निर्णय करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है और हमारा अनुभव यह है कि इससे हमें हानि हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ये सारे प्रश्न अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं और हम प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में इस विषय पर तथा इन लोगों को अधिक शक्ति दी जाने के विषय में लगातार विचार कर रहे हैं। यह प्रश्न कक्षाओं में बैठकर लोगों को प्रशिक्षण देने का नहीं है। हम देखते हैं कि ऐसा प्रशिक्षण बहुत कम काम आता है। वास्तव में महत्व व्यावहारिक प्रशिक्षण का है।

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण

*४६५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८९१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में स्कूल स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना की रूप रेखा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कुल कितनी राशि पृथग्रक्षित की है; और

(ग) प्रारम्भिक और वार्षिक व्यय के आवर्तक आंकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) योजना का प्रमुख उद्देश उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में शिक्षा की बुनियादी (बेसिक) प्रणाली को अपनाना है। योजना को कार्यान्वित करने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। ८ बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैं, और टीचस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट को बेसिक प्रणाली स्कूल में परिवर्तित किया जा चुका है। मारघैरिटा के ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में बेसिक प्रशिक्षण के लिए तीस आदिमजाति के प्रशिक्षणार्थी भर्ती किए जा चुके हैं। हिन्दी के प्रचार तथा आदिमजाति की बोलियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कार्यक्रम आगामी पांच वर्षों के अन्दर स्कूलों की विद्यमान संख्या को दुगना कर देने और यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या में आदिमजाति के लोगों को प्रशिक्षित करने का है।

(ख) और (ग). इस वर्ष के आय-व्ययक में सीमा अभिकरण में शिक्षा सम्बंधी योजनाओं के लिए १३,४९,४०० रुपया पृथग्रक्षित है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर प्राक्कलित व्यय निम्नलिखित है—

	रुपया
१९५६-५७	११,३३,५९४
१९५७-५८	१३,४८,९७८
१९५८-५९	१८,८९,८२०
१९५९-६०	२०,३४,९५०
१९६०-६१	२७,०६,७२६

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन स्कूलों के लिए एक उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाने के लिए कोई विशेष समिति बनाई गई थी, और यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सदस्यों के नाम नहीं बता सकता। इस विषय पर हमारे वहां के परामर्शदाताओं, प्रभारी राज्यपाल और शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया था। मैं उनके नाम नहीं बता सकता।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन व्यक्तियों की शिक्षा के लिये कोई नवीन पद्धति अपनाई गई है जो भारत के अन्य भागों में अपनाई गई पद्धति से भिन्न है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, श्रीमान् । उन आदिमजाति क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण प्रणाली पर ज़ोर दिया गया है, और कहीं की नकल करने पर नहीं । निश्चय ही यह बेसिक प्रणाली रहेगी, किन्तु उन विशेष आवश्यकताओं पर ज़ोर देते हुए ।

श्रीमती खोंगमैन : इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा—आसामी अथवा प्रमुख आदिमजाति बोलियां ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्राइमरी स्कूलों में, मैं समझता हूं, आदिमजाति भाषा होगी । हां, किसी प्रक्रम पर पहुंच कर हिन्दी भी आ जाती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या किन्हीं ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से इन आदिमजातियों को शिक्षा देने और उनके सांस्कृतिक उत्थान में सहायता देने के लिए प्रार्थना की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य शिक्षा के सम्बन्ध में कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वर्धा के तालीमी संघ के प्रमुख प्रतिनिधियों, श्री अरियनायकम तथा अन्य लोगों को इस विषय पर परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में खोले जाने वाले ये स्कूल परम्परागत आधार पर चलाए जाएंगे अथवा उनमें ऐसा व्यावसायिक अथवा प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जो आदिमजाति के लोगों के लिए उपयुक्त हो ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अभी कह चुका हूं कि उन्हें प्रशिक्षण ऐसा दिया जाएगा जो आदिमजाति के रीति-रिवाजों और लोगों के स्वभाव के अनुकूल हो । हमने व्यावसायिक आधार पर प्रशिक्षण देने और आदिमजातियों की कलाओं, नृत्य और गायन, को बनाये रखने और प्रोत्साहित करने पर विशेष रूप से ज़ोर दिया है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था

*४६६. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संस्था ने सरकार से नई दिल्ली और दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में जल और विद्युत्, बच्चों के लिए मनोरंजन पार्कों तथा सफाई की दशा में सुधार करने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी, हां ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में इन सुविधाओं को प्रदान करने का कार्य केन्द्रीय निर्माण विभाग ने हाथ में ले लिया है और काम चालू है ।

डा० सत्यवादी : यह काम लगभग कितने दिनों में पूरा हो जायगा ?

श्री करमरकर : मैं बतलाना चाहता हूं कि हर एक क्वार्टर के लिए अलग अलग पानी का नल लगाने का काम कुछ

दिनों में पूरा हो जायगा, बिजली लगाने का काम भी शायद सितम्बर तक खत्म हो जायगा और सी सा वगैरह खेल की चीजें लगाने का काम मार्च १९५६ के आखिर तक हो जायगा। ड्राई लेट्रीन्स को वाटर बोर्न लेट्रीन्स से रिप्लेस करने का काम भी हमारे विचाराधीन है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने ऐसी कोई शिकायत प्राप्त की है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पानी की जो दर ली जाती है वह बहुत अधिक है ?

श्री करमरकर : मुझे इसका पता नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों के पास बहुत से क्वार्टरों में बिजली नहीं है, यद्यपि वे तीन या चार सालों से वहां रहते हैं, जब कि दूसरी ओर अफसरों को क्वार्टर देने से बहुत पूर्व ही उनके क्वार्टरों में बिजली दे दी गई थी ?

श्री करमरकर : यह बड़ा भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला प्रश्न है। परन्तु मैंने पहले अपने हिन्दी के उत्तर में कहा था कि हमने सब क्वार्टरों में बिजली लगाने का विचार किया है और आशा की जाती है कि सितम्बर १९५५ के अन्त तक बिजली लगा दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ४६७।

श्री कामत : इसी के साथ प्रश्न संख्या ४९३ का भी उत्तर दिया जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर : वह भिन्न प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को उसका भी उत्तर देने में सुविधा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी, हां।

दूसरा डी० डी० टी० कारखाना

*४६७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **उत्पादन** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय हो गया है कि दूसरा डी० डी० टी० कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ख) कारखाने की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी और इस पर अनुमानतः क्या परिव्यय होगा ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अल्वाये में, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड और त्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड के रसायन कारखानों के समीप इस कारखाने को स्थापित करने का विचार किया गया है, जहां से फैक्टरी कुछ कच्चा माल लेगी। शीघ्र ही निश्चित स्थान चुने जाने की आशा की जाती है।

(ख) वार्षिक उत्पादन क्षमता—डी० डी० टी० टैक्निकल १४०० टन।

अनुमानित परिव्यय—७९ लाख रुपये।

डी० डी० टी० कारखाना

*४९३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने का मासिक उत्पादन कितना है; और

(ख) इस कारखान द्वारा देश की डी० डी० टी० सम्बन्धी आवश्यकताओं के कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति होती है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मार्च १९५५ के अन्तिम सप्ताह से कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हुआ जो कि अप्रैल, मई तथा जून में क्रमशः १०, ९ तथा १७ टन था । आशा है कि पूर्ण उत्पादन जो ७०० टन प्रतिवर्ष होना चाहिये १९५६–५७ तक हो सकेगा ।

(ख) कारखाने में तैयार किये गये कीटाणु-नाशक द्रव्य (पदार्थ) मलेरिया के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन की १४ प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे । कारखाने का विस्तार कर के उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगना करने की योजना बनाई गई है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या दक्षिण में नये कारखाने में पूरा उत्पादन होने के पश्चात देश डी० डी० टी० के बारे में स्वावलम्बी हो जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में डी० डी० टी० की आवश्यकता का अनुमान प्रतिवर्ष ५००० टन का लगाया गया है जिसमें से लगभग २००० टन डी० डी० टी० नहीं, अपितु अन्य कीट-नाशक बेंजीन हाइड्रोहेक्सेक्लोराइड गैरसरकारी क्षेत्र में तैयार की जाएगी और शेष ३००० टन सरकारी क्षेत्र में तैयार की जाएगी ।

श्री विश्व नाथ राय : नए कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि उनका दिल्ली के कारखाने से अभिप्राय है, तो वहां उत्पादन पहले ही आरम्भ हो चुका है ।

श्री विश्व नाथ राय : मेरा दक्षिण में स्थापित किए जाने वाले कारखाने से अभिप्राय है ।

श्री सतीश चन्द्र : अल्वाय म कारखाना अभी स्थापित होगा और आशा की जाती है कि १९५७-५८ में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन राज्यों ने डी० डी० टी० कारखानों की प्रस्थापना ली है और क्या इन कीट-नाशक कारखानों के प्रसंग में ऐसे अधिक कारखानों की भी संभावना है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा मैं पहले बता चुका हूं दिल्ली के कारखानों का विस्तार हो रहा है और एक नया कारखाना अल्वाये में स्थापित किया जा रहा है । ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं और अधिक उत्पादन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार ने नये कारखाने के फलस्वरूप रोजगार संभावना संबन्धी अनुमान लगाया है, और यदि हां, तो क्या ?

श्री सतीश चन्द्र : अल्वाये में लगभग २०० व्यक्ति काम पर लगाये जायेंगे ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या यह सच है कि डी० डी० टी० के बार बार प्रयोग करने से मच्छरों पर उसका असर नहीं होता ?

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

श्री कामत : क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में बहुत अधिक डी० डी० टी० छिड़कने के बावजूद इस संकट से दिन में मच्छरों का और रात्रि को मक्खियों का कोई छुटकारा नहीं हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरा अनुभव माननीय सदस्य से भिन्न है ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : क्या कारखाने से वर्तमान निकासी संतोषजनक है, अथवा कुछ भण्डार अभी पड़ा है ? क्या सरकारी संस्थाएं इस कारखाने से अपनी आवश्यकताएं पूरी करती हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं समझता कि कुछ माल शेष पड़ा है, परन्तु उस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विद्युत् परियोजनाएं

***४६९. श्री इब्राहीम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित परियोजनाओं पर मार्च १९५५ तक कुल कितना व्यय हुआ है :--

(१) भाखड़ा-नंगल ;

(२) दामोदर घाटी ; और

(३) हीराकुड ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (१) भाखड़ा-नंगल--१०७.६८ करोड़ रुपये ।

(२) दामोदर घाटी--७२.१७ करोड़ रुपये ।

(३) हीराकुड--४२.५३ करोड़ रुपये ।

इन आंकड़ों में अन्तिम लेखाओं में कुछ परिवर्तन हो सकता है ।

श्री इब्राहीम : उन योजनाओं के अन्दर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीमें हैं, उन पर अब तक क्या खर्च हुआ है ?

श्री हाथी : अभी उनका अलग अलग आंकड़ा नहीं दे सकते ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं द्वारा तैयार की जाने वाली बिजली के लिये समस्त देश के लिये एकरूप दर बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री हाथी : समस्त देश में समस्त विद्युत् परियोजनाओं के लिये एकरूप दर रखना सम्भव नहीं होगा वह प्रत्येक परियोजना में बिजली तैयार करने के परिव्यय पर निर्भर है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस प्रश्न में उल्लिखित जिन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो मूल प्राक्कलन तैयार किये गये थे, उन से कितने प्रतिशत परिव्यय बढ़ गया है ?

श्री हाथी : परियोजनाओं के कार्य-क्षेत्र के विस्तार और अन्य बातों के अनुसार व्यय में ४० प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : इन में से प्रत्येक परियोजना के लक्ष्यों में और वित्तीय व्यय की दृष्टि से कितने प्रतिशत प्रगति हुई है ?

श्री हाथी : जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, इस समय भाखड़ा-नंगल की अनुमानित लागत १५८ करोड़ रुपये है जिसमें १०५ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, दामोदर पर १००·४९ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है, जिसमें से ७२ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुक हैं और हीराकुड पर प्रथम प्रक्रम पर लागत का अनुमान ७०·७८ करोड़ रुपये है जिसमें से ४२ करोड़ रुपये खर्च हो चुक हैं ।

लक्ष्यों के बारे में स्थिति यह है कि हीराकुड परियोजना का लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और यह १९५६ तक पूरा हो जाएगा । दामोदर

के सम्बन्ध में, जैसा कि सभा को विदित है बोकारो थर्मल संयंत्र तिलैय्या और कोनार पूरे हो चुके हैं और मैथोन तथा पंचेत हिल पूरे होने वाले हैं। भाखड़ा १९५९–६० तक पूरा हो जाएगा।

श्री नवल प्रभाकर : मेरा जो प्रश्न ४६८ नम्बर का था उसको आपने नहीं पुकारा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह पूछा गया था और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया था।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, प्रश्न संख्या ४६८।

दिल्ली में विस्थापितों की बस्तियां

***४६८. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विस्थापितों की ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां अब तक जल और विद्युत् की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां ये सुविधायें शीघ्र ही दी जाने वाली हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) दिल्ली में विस्थापितों की दस बस्तियों में पानी और बारह बस्तियों में विद्युत् की व्यवस्था नहीं है।

(ख) थोड़े समय में दो बस्तियों में पानी और चार बस्तियों में विद्युत् की व्यवस्था की जायेगी।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन में विद्युत् और पानी की व्यवस्था की जायगी, उन बस्तियों के क्या नाम हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : उन बस्तियों के अलावा जहां पानी और बिजली की व्यवस्था है, मोतीनगर, रमेशनगर, इन्द्रनगर, गांधीनगर, भारतनगर और तिहार की बस्तियों में पानी की व्यवस्था की जा रही है और बिजली की व्यवस्था रमेश नगर, तिहार, गांधीनगर और भारतनगर में की जा रही है।

श्री नवल प्रभाकर : जो बाकी बस्तियां हैं उनमें पानी और बिजली कब तक सप्लाई किया जा सकेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : यह जो चार बस्तियों के नाम मैंने बताये उनके सम्बन्ध में एस्टिमेट सी० पी० डब्लू० डी० की तरफ से १५ दिन में आयेगा और उसके आने के बाद वह काम शुरू हो जायगा।

पैनिसिलीन कारखाना

***४७१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री २२ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी में पैनिसिलीन कारखाना ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका इस समय पैनिसिलीन का औसत मासिक उत्पादन क्या है ; और

(ग) क्या इस कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का विचार है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) औसत मासिक दर ७००,००० मेगा यूनिट पैनिसिलीन है और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों के अन्दर

क्रम से इस का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से लगभग दुगना हो जाएगा ।

(ग) जी, हां। पैनिसिलीन कारखाने की स्थापित क्षमता को लगभग ६० प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस फैक्टरी के विस्तार कार्यक्रम पर कितनी लागत आएगी, और यह फैक्टरी कब पूरा उत्पादन आरंभ करेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : पिछले महीने से यह वाणिज्यिक उत्पादन कर रही है। विस्तार कार्यक्रम की लागत बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है– मैं समझता हूं इस का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या इस फैक्टरी में और कोई ऐंटी बायटिक तैयार करने की सरकार की कोई योजना है, और यदि हां, तो क्या ?

श्री सतीश चन्द्र : बाद में इस फैक्टरी में स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने का भी विचार है ।

सेठ गोविन्द दास : जितनी आवश्यकता हमको इस देश में पैंसिलिन की है, उतनी कब तक पूर्ति होने की आशा है और क्या सरकार के पास इस बात की भी कोई शिकायत आई है कि जो पैंसिलिन हमारे यहां तैयार होती है, वह जो बाहर से आने वाली पैंसिलिन है, उससे कुछ निम्न कोटि की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : प्रारंभ में यह योजना बनाई गई थी कि फैक्टरी लगभग ९० लाख मेगा यूनिट पैंसिलिन प्रति वर्ष तैयार किया करेगी, किन्तु अब आशा की जाती है कि डेढ़-दो करोड़ मेगा यूनिट पैंसिलिन तैयार की जायगी । इसमें ६० प्रतिशत वृद्धि करने का विचार किया जाता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है । इस प्रकार ३ करोड़ २० लाख मेगा यूनिट प्रतिवर्ष तैयार की जाएगी और यह आशा की जाती है कि कुछ गैर सरकारी फैक्टरियों के उत्पादन के साथ, यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ।

सेठ गोविन्द दास : क्वालिटी के बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक उसकी क्वालिटी का सम्बन्ध है उस पर जो अब तक लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं उनसे यह सिद्ध हुआ है कि यहां की पैंसिलिन की क्वालिटी जितनी भी इम्पोर्टेड पैंसिलीन है, उससे किसी तरह कम नहीं है । कुछ इसके सैम्पुल्स अब अमरीका और इंगलैंड भेजे गये हैं और सैंट्रल ड्रग इंस्टीटयूट के पास भी भेजे गये हैं और इनसे इस बात की और पुष्टि हो जाएगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : अभी तक इस उत्पाद का पर्याप्त प्रचार क्यों नहीं किया गया है, और सरकारी संस्थाओं से इस पैंसिलिन का प्रयोग करने के लिये क्यों आग्रह नहीं किया जाता, तथा इसे नलियों के रूप में देने की प्रणाली कब आरंभ होगी ?

श्री सतीश चन्द्र : उत्पादन की ओर पहला पग दिसम्बर में उठाया गया था और उत्पादन मार्च में आरंभ हुआ था । दो तीन महीने तक उत्पादन परीक्षण के रूप में होता रहा । वाणिज्यिक स्तर पर नियमित उत्पादन इसी महीने से आरंभ हुआ है और अभिकर्ता नियुक्त किये जा रहे हैं । सरकारी हस्पतालों को अपनी आवश्यकताओं की सूची भेजने के लिये कह दिया गया है और यह आशा की

जाती है कि आयोजित ढंग से अत्यन्त शीघ्र ही पैंसिलिन मिलनी आरंभ हो जाएगी ।

नेपाल को सहायता

*४७२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा अप्रैल, १९५५ में नेपाल के रामचाप के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ गिराये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से पदार्थ गिराये गये और उनकी मात्रा क्या थी; और

(ग) वे कितने मूल्य के थे और क्या वे निःशुल्क दिये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां : (क) से (ग). नैपाल सरकार की प्रार्थना पर भारतीय हवाई सेना के एक हवाई जहाज ने रामचाप के आसपास ३०० टन चावल गिराया था । यह चावल नैपाल सरकार द्वारा दिया गया था ।

श्री विभूति मिश्र : नैपाल सरकार की सूचना मिलने के कितने समय के अन्दर भारत सरकार ने यह खाद्य पदार्थ वहां पर सप्लाई किये ?

अध्यक्ष महोदय : नैपाल की मांग आने के कितने समय पश्चात खाद्य पदार्थ वहां भेजे गये थे ?

श्री सादत अली खां : २४ घन्टे के अन्दर हमने हवाई जहाज का इन्तजाम किया और यह चावल वहां गिराया ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसका दाम लिया गया या फ्री दिया गया. . . .

श्री विभूति मिश्र : अब तक भारत सरकार ने गल्ले से, कपड़े से और रुपये से इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में कितने की मदद दी है ?

श्री सादत अली खां : इसके लिए नोटिस चाहिए ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कपड़े की तो नहीं कह सकता, लकिन गल्ला तो वहां बहुत भेजा । करीब दस हजार टन गल्ला वहां भेजा ।

छोटे पैमान के उद्योग

*४७३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक बहुप्रयोजनीय टेकनालोजी संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय योजना होगी या कि राज्य योजना होगी ।

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मालूम हुआ है कि बिहार सरकार का एक ऐसा प्रस्ताव है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या बिहार सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

श्री कानूनगो : जी, हां । बिहार सरकार ने वित्तिय सहायता मांगी थी और एक लाख रुपये से कुछ अधिक राशि दी गई है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस संस्था में कितने प्रशिक्षार्थियों के

लिए प्रबन्ध होगा और यह किस हद तक देश के उद्योगों के लिए प्रशिक्षार्थियों की मांग को पूरा कर सकेगी ?

श्री कानूनगो : मैं यह नहीं बता सकता क्योंकि बिहार ने अभी ब्योरा तैयार नहीं किया। केवल मोटे तौर पर किया है। किन्तु स्थान एक ऐसे कालेज के निकट चुना गया है जिसमें यांत्रिक एवं विद्युत् इंजीनियरिंग के कारखाने की सुविधाएं हैं, और विचार है कि वहां एक पृथक् संस्था की अपेक्षा अधिक प्रशिक्षार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या बिहार सरकार ने बताया है कि इस में कितने व्यक्तियों के लिए स्थान होगा ?

श्री कानूनगो : नहीं, उस ने ब्योरा नहीं दिया।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (छोटे पैमाने के उद्योग) सिन्दरी में चलाई जा रही हैं ?

श्री कानूनगो : लुहारी का काम, बढ़ई का काम, ताला बनाने का काम और दूसरी छोटी छोटी मशीनें बनाने की कोशिश की जा रही है।

यूरोपीय पटसन निर्माता संघ

*४७४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** और **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने यूरोपीय पटसन निर्माता संघ बनाया है ; और

(ख) इस संघ से भारतीय पटसन के माल पर विश्व की मंडियों में क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) फ्रांस, हालैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड।

(ख) इस संघ के बनने से भारतीय पटसन के माल के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री एस० सी० सामन्त : इन देशों में से कौन कौन से देश पटसन के माल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं ?

श्री करमरकर : इस संघ का उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों में उद्योग को सुस्थित किया जाये।

श्री एस० सी० सामन्त : १९५५ में किन किन उपभोक्ता देशों ने हम से माल का आयात कम कर दिया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास ऐसे देशों का ब्योरा नहीं है, जिन्होंने हम से पटसन का माल आयात किया है, किन्तु १९५४ में हमने ८,४२,६०० टन निर्यात किया था और जनवरी १९५५ से मई १९५५ तक ३,५९,००० टन निर्यात किया है।

श्री बर्मन : पाकिस्तान चलार्थ (करन्सी) के अवमूल्यन से भारतीय पटसन के माल पर विश्व मंडी में क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री करमरकर : अभी इसे देखा जायगा। हम इस समय कुछ नहीं कर सकते।

सशस्त्र सेना चलचित्र

*४७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना सूचना कार्यालय द्वारा अब तक भारतीय सशस्त्र सेना सम्बन्धी

कौन-कौन से चल-चित्रों का निर्माणों किया गया है; और

(ख) उन्हें कहां तक लोकप्रियता मिलती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सेना विभाग के अधिकारी अलग से कोई फिल्म नहीं बनवाते । फिल्म विभाग दूसरे विषयों की भांति सेनाओं के बारे में भी डौक्यूमैन्टरी फिल्में बनाता है । अभी तक जितने डौक्यूमैन्टरीज़ बनाये गये हैं उनकी सूची लोक-सभा की मेज़ पर रख दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७ ।]**

(ख) जनता ने इन डौक्यूमैन्टरी चित्रों को पसन्द किया है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो सूची सदन पटल पर रखी गई है, उस से मालूम होता है कि अब तक १६ चित्र बन चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन विषयों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और इसमें रक्षा मंत्रालय से परामर्ष लिया जाता है या यह चित्र उन की सलाह पर बनाये जाते हैं ?

डा० केसकर : यह ज़ाहिर है कि डिफेन्स मिनिस्ट्री की सलाह से जो विषय हैं वह चुने जाते हैं । हमारा तरीका यह है कि जो डौक्यूमैन्टरीज बनती हैं, यदि उस का विषय किसी तरीके से किसी मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है, तो उस की सलाह लेकर ही डौक्यूमैन्टरी बनाई जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो वृत्त चित्र तैयार किये गये हैं, वह केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं या हिन्दी व दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी उन के वर्णन तैयार किये जाते हैं ?

डा० केसकर : हमारी जितनी डौक्यूमैन्टरीज बनती हैं वह कम से कम पांच भाषाओं में तो जरूर बनती हैं, अर्थात हिन्दी, अन्ग्रेज़ी, बंगाली, तामिल और मलयालम में । और आजकल जो पंच वर्षीय योजना के बारे में चित्र बन रहे हैं, वह सभी रीजनल भाषाओं में बनाये जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस समय जो नैशनल वालेंटियर फोर्स की नई योजना जारी की गई है उस के बारे में कोई चित्र बनाया जाने वाला है, या बन रहा है ?

डा० केसकर : अगर माननीय सदस्य फहरिस्त को देखेंगे तो उन को मालूम होगा कि १९५३ में भी नैशनल कैडेट कोर के बारे में एक फिल्म है और १९५४ में भी है । और आगे भी जैसी जरूरत होगी वैसे वह बनाई जायेगी ।

बनावटी हीरे

*४७७. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकारा में बनावटी हीरों के बनाने के लिए कोई भारतीय व्यवसाय कारखाना चलाने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी फर्म से कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अनुमानतया माननीय सदस्य खुर्दरे सांश्लेषिक पत्थरों के निर्माण की योजना की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि ऐसा है तो हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३५ लाख रुपये की पूंजी जारी करने की मंजूरी दी गई है । जिसका ५१ प्रतिशत भाग भारतीय हितों के लिए और ४९ प्रतिशत विदेशी हितों के लिए होगा ।

श्री नानादास : क्या कोई सरकार चाहे यह राज्य या केन्द्रीय सरकार हो इस कम्पनी में हिस्से ले रही है ?

श्री कानूनगो : अभी किसी राज्य सरकार ने नहीं लिए किन्तु मद्रास सरकार से बात चीत हो रही है ।

श्री नानादास : देश में बनावटी पत्थरों की वार्षिक मांग कितनी है और हम किस हद तक आयात पर निर्भर हैं ?

श्री कानूनगो : देश की अनुमानित आवश्यकता ५० टन है और यह सारी आयात की जाती है ।

श्री नानादास : इस का मूल्य रुपयों में क्या है ।

श्री कानूनगो : इस समय मरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या हमारे देश में इन सांश्लेषिक पत्थरों की पर्याप्त मांग होगी या सरकार का यह इरादा है कि समाजवादी ढांचे के आदर्श के अनुसार इस प्रकार की मांग पैदा की जाये ?

श्री कानूनगो : वर्तमान और भावी मांग ५० टन की है और मीटरों और अन्य उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ इन पत्थरों की मांग भी बढ़ेंगी ।

वैदेशिक सेवाएं

*४७८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वैदेशिक सेवा में पदाधिकारियों के लिए और विशेषकर उनके लिए जो विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त हैं, हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : जी हां । भारतीय वैदेशिक सेवा में नये भरती होने वालों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है । उन्हें हिन्दी में एक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है । उन वरिष्ट पदाधिकारियों को भी जो हिन्दी नहीं जानते हिन्दी सीखन की सलाह दी जाती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी माननीय पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी साहब ने बतलाया कि नये रिक्रूट्स के लिए हिन्दी सीखना लाजिमी हो गया है । लेकिन जो पुराने लोग सर्विस में हैं और जो भारतीय एम्बेसीज में ह वह हिन्दी सीख चुके हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो उन को हिन्दी सिखाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्र (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह उन की उम्र पर मुन्हसर है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जब हमारे यहां के लोग कोरिया वगैरह में जाते हैं तो हमारे प्रधान मंत्री उनको शिक्षा देते हैं कि वह आपस में हिन्दी में ही बात करें, तो क्या ऐसी कोई हिदायत फारेन एम्बेसीज में काम करने वालों को भी दी जाती है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां, दी जाती है । और सब हिन्दी सीखन को कोशिश कर रहे हैं । लेकिन, जाहिर

है कि कुछ उम्र के बाद सीखना जरा कठिन हो जाता है ।

श्री धूसिया : क्या उन पदाधिकारियों की पदोन्नति रोक दी जायेगी जो परीक्षा पास नहीं करते या उन्हें पदोन्नति से अनर्ह कर दिया जायेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक नये भरती होने वालों का सम्बन्ध है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी परीक्षा का माध्यम नहीं है और न ही यह अनिवार्य विषय है अर्थात् यदि सेवा में भरती होने वाला कोई व्यक्ति हिन्दी नहीं जानता तो उसे अनर्हीकृत नहीं किया जाता अन्यथा यह हिन्दी न जानने वालों के प्रति अन्याय होगा । किन्तु परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसके लिये हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है और जब तक वह इसे पास न करे, उसकी औपचारिक रूप से नियुक्ति नहीं होती और वह कोई प्रगति नहीं कर सकता । जहां तक सेवा के पुराने सदस्यों का सम्बन्ध है, उन पर कोई रोक नहीं । हम उन्हें हिन्दी सीखने के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

देहातों में विद्युतीकरण

*४७९. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के वर्ष के लिए देहातों में विद्युतकरण योजनाओं के लिए पंजाब सरकार ने कितनी राशि मांगी है; और

(ख) गत वर्ष कितनी राशि दी गई थी और उसमें से अब तक कितनी खर्च की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). १९५४–५५ और १९५५–५६ में व्यय पूरा करने के लिए विद्युत विकास योजना के अधीन देहातों में विद्युतीकरण कार्यों के लिये ६० लाख रुपये की सहायता को ऋण के रूप में मंजूरी दी गई थी । इस में से ३० लाख रुपये पंजाब सरकार ने १९५४–५५ में ले लिये थे और यह राशि उस वर्ष में सारी खर्च कर दी गई थी शेष ३० लाख रुपये १९५५–५६ में खर्च किये जाने हैं । पंजाब सरकार ने हाल में योजना आयोग से प्रार्थना की है कि चालू वर्ष में ऋण सहायता ५५ लाख रुपये तक बढ़ा दी जाए । यह प्रार्थना अभी विचाराधीन है ।

श्री हेम राज : क्या १९५४ में और १९५५ में की गई इंजीनियरिंग गोष्ठी में यह सिफारिश की है कि राज्य को ऋण और साहाय्य दोनों दिये जायें ? क्या सरकार ने इसकी सिफारिश पर विचार किया है और इस का निर्णय क्या है ?

श्री हाथी : यह सच है कि गोष्ठी ने सिफारिश की है कि ग्रामीण विद्युतकरण योजनाओं के लिए साहाय्य दिये जायें । यह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हेम राज : क्या इस गोष्ठी ने यह भी सिफारिश की थी कि ग्रामीण विद्युतकरण का व्यय घटाया जाये ? सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

श्री हाथी : उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया । उस ने यह कहा है कि सरकार को ग्रामीण विद्युतकरण के लिए साहाय्य देना चाहिए । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

जाति-विभेद

*४८०. **डा० रामा राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अफ्रीकी संघ के गोरे लोग भारतीय आयुक्त और उनके कर्मचारी-वृन्द के प्रति विभेद कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) विभेद के उदाहरणों की ओर बार बार स्थानीय प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है किन्तु अभी तक युरोपीय समुदाय ने कोई ठोस पग नहीं उठाया । तथापि रोडेशिया और न्यासालैंड संघ की सरकार ने सहायता का रुख अपनाया है और उसके प्रधान मंत्री लार्ड मैलवर्न ने हाल में एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ किए गए विभेद के व्यवहार की निन्दा की है ।

डा० रामा राव : यह विभेद किस रूप में किया जा रहा है ?

श्री सादत अली खां : इसके विचित्र रूप हैं जैसा कि सिनेमाघरों, अस्पतालों, सार्वजनिक लिफ्टों, गाड़ियों और बसों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना और होटलों में स्थान देने के मामले में विभेद करना और इसी तरह की और बहुत ही चीजें हैं ।

डा० रामा राव : क्या यहां इस संघ का कोई राजनयिक प्रतिनिधि है और क्या हमने उसका ध्यान इस स्थिति की ओर दिलाया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यहां संघ का कोई प्रतिनिधि नहीं है । परन्तु जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, बार बार कड़े शब्दों में इसकी ओर ध्यान दिलाया गया है । संघ की सरकार केवल इतना कहती है कि उसे इन घटनाओं का खेद है और वह पूरी कोशिश कर रही है किन्तु ऐसा व्यवहार करने वाले निजी व्यक्ति या निजी संगठन हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम शीघ्र नागरिकता विधेयक पर चर्चा करेंगे, मैं यह जानना चाहती हूं कि केन्द्रीय अफ्रीका संघ का दर्जा क्या है; क्या यह राष्ट्र-मंडल का भाग है या इसका कोई अन्य दर्जा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार में माननीय सदस्या को मालूम होगा कि यह राष्ट्रमंडल का भाग है । किन्तु उसका ठीक ठीक दर्जा क्या है, यह मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता । किन्तु यह निश्चय ही दक्षिण अफ्रीका की तरह राष्ट्रमंडल का भाग है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को इस चिन्ताजनक समाचार का पता है जो कि बम्बई के कुछ उत्तरदायी समाचारों में प्रकाशित हुआ है कि तीन अफ्रीको विद्यार्थी बम्बई ला कालिज होस्टल से निकाल दिये गए हैं और क्या सरकार असाधारण तरीके से यह प्रबन्ध करेगी कि अफ्रीकी विद्यार्थियों को होटलों में स्थान दिया जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका रोडेशिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इन दोनों के बीच दस हजार मील की दूरी है, किन्तु मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि तथ्य उस प्रकार नहीं है जैसे कि माननीय सदस्य द्वारा बताए गए हैं । इनकी सत्यता से इन्कार किया गया है ।

अमेरिका में एक भारतीय की हत्या

*४८१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुम्बालानी, त्रावंकोर कोचीन राज्य के एक भारतीय कैथोलिक पादरी रैवरेंड फादर जौन चिरामल की हत्या शिकागो, संयक्त राष्ट्र अमेरिका, में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई; और

(ख) क्या सरकार ने इस मृत्यु का कारण जानने के लिए कोई जांच की है?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) जैसे ही इस हत्या का समाचार मिला भारत के न्यूयार्क स्थित महा वाणिज्य दूत ने इस घटना के बारे में शिकागो पुलिस प्राधिकारियों तथा शिकागो स्थित ब्रिटिश महावाणिज्य दौत्य द्वारा अविलम्बनीय पूछ-ताछ करवाई । किन्तु इन साधनों से जो सूचना प्राप्त हुई उससे समाचार पत्रों में प्रकाशित संवाद से अधिक कुछ जानकारी नहीं मिल सकी । २४ जून, १९५५ को जो जांच कारोनर द्वारा की गई उसमें "अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या" का निर्णय दिया गया ।

श्री ईश्वर रेड्डी : यह पादरी अमेरिका किस प्रयोजन से गया था और उसकी गतिविधियां वहां किस प्रकार की थीं ?

श्री सादत अली खां : रैवरेंड फादर जौन चिरामल न्यूयाक स्थित फोर्डहम विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए न्यूयाक गए थे । बाद में उनका सम्बन्ध कोचीन के बाएज़ टाउन से रहा । इसके वह प्रथम निदेशक हुए और उन्होंने इसके लिए अमेरिका में चन्दा इकट्ठा किया ।

श्री वी० पी० नायर : प्रेस में यह संवाद आया था कि अमेरिका जाने में उनका अभिप्राय यह था कि वह नेब्रास्का के बॉएज़ टाउन के सदृश्य एक संस्था की स्थापना के हेतु वहां चन्दा एकत्रित करना चाहते थे । क्या सरकार इस बात से अवगत है ?

श्री सादत अली खां : सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है । वह अध्ययन के लिए गए थे और वह उस संस्था से सम्बद्ध हैं ।

पंच शील

*४८४. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** २ अप्रैल, १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १७८० के उत्तर के निर्देश से यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उन देशों के साथ द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार अथवा मेल करने का है जिन्होंने पंच शील के पांच सिद्धान्तों का समर्थन किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं । सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है ।

श्री कामत : २ अप्रैल, १९५५, से जब कि पिछले प्रश्न का उत्तर दिया गया था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कितने अन्य देशों अथवा राष्ट्रों ने पंच शील का समर्थन किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि सम्भवत: माननीय सदस्य को ज्ञात है बांडुंग सम्मेलन पर पंच शील को बढ़ा कर दस कर दिया गया था, और उस से सम्बद्ध देशों ने मान लिया था । चीन और भारत के अतिरिक्त, जहां तक मुझे याद है, बर्मा, इन्डोनेशिया, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, पोलैंड, मिश्र अन्य देश हैं जिन्होंने इस सिद्धान्त को अपनाया है । मिश्र ने तो बांडुंग सम्मेलन में भाग भी लिया था । मेरे कागजों में इन का उल्लेख है । यह देश हैं बर्मा, चीन, भारत, लाओस, नेपाल, वियतनाम का जनतन्त्रात्मक गणराज्य, यूगोस्लाविया, मिश्र, कम्बोडिया, सोवियत संघ और पोलैंड ।

श्री कामत: जहां तक पंच शील के तीसरे सिद्धांत का सम्बन्ध है, अर्थात एक दूसरे के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, क्या यह एक तथ्य है कि मूल दस्तावेज, अर्थात नेहरू-चौ एन लाई घोषणा अथवा करार, में निम्न रूप भेद नहीं था : "आर्थिक, राजनैतिक अथवा आदर्शवादी प्रकार के किन्हीं कारणों से" । क्या यह शब्द बाद में डाले गये थे, और यदि ऐसा है तो क्यों और किसके कहने पर ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सत्य है। यह शब्द मूल भारत-चीन प्रारूप में नहीं थे, किन्तु यह तो केवल शब्दों की बात है, क्योंकि अभिप्राय वही था । 'हस्तक्षेप न करने' की जो बात कही गई थी वह उसमें आजाती है । बाद के प्रारूपों में अधिक स्पष्टीकरण के विचार से यह शब्द डाल दिये गये थे।

श्री कामत : क्या यह कहना ठीक होगा कि जिस देश अथवा राष्ट्र ने पंच शील के सिद्धांतों का समर्थन करना स्वीकार कर लिया है वह भारत के साथ अपने सम्बन्धों का समायोजन उसी आधार पर करेगा, अथवा क्या वह सामान्यत: अपनी वैदेशिक नीति उस आधार पर चलाएगा, और यदि ऐसा है तो क्या मार्शल बुलगानिन के साथ हाल में हुई वार्ता और मास्को में की गई संयुक्त नेहरू-बुलगानिन घोषणा के पश्चात क्या सोवियत संघ ने कोई संकेत इस आशय का दिया है कि वह कोमिन्फार्म, पूर्व जर्मनी और पूर्व यूरोपीय राज्यों के प्रति अपनी नीति और रुख में परिवर्तन करे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं अन्य देशों की ओर से उत्तर दूं । यदि हम किसी अन्य देश से करार करते हैं तो वह उनके और हमारे बीच की बात होती है। यह सत्य है कि उस करार का दोनों देशों की व्यापक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है । मैं अपनी और भारत की ओर से कह सकता हूं कि पंच शील का सिद्धांत सभी देशों को लागू होता है । मैं यह बात भारत की ओर से कह सकता हूं किन्तु मैं अन्य देशों की ओर से कुछ नहीं कह सकता। किन्तु जब कोई देश एक बार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है तो यह अवश्यभावी है कि इस का प्रभाव

उस के अन्य दशों के साथ होने वाले सम्बन्धों पर पड़े, चाहे वह इसके लिए स्पष्ट रूप से वचनबद्ध न हुआ हो।

श्री कामत : एक अन्तिम प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : छोटा होना चाहिए।

श्री कामत : हां, श्रीमान। पंच शील के प्रथम सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, अर्थात यह कि एक दूसरे की राज्य-क्षेत्रीय एकता और प्रभुत्व का मान किया जाएगा, क्या पंच शील का समर्थन करने वाले इन सभी देशों ने यह घोषणा की है कि गोआ भारत का अभिन्न भाग है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न उनके सामने कभी इस रूप में उपस्थित नहीं हुआ है।

कच्चा रेशम

*४८५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किया गया कच्चा रेशम किस आधार पर बांटा जाता है; और

(ख) कौनसा अभिकरण इसे बांटता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के सहकारी संगठनों और अन्य आर्डर देने वाली संस्थाओं की आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर लोगों को उनके सदभाव और वास्तविक गत उपभोग के आधार पर कच्चा रेशम दिया जाता है।

(ख) केंद्रीय रेशम बोर्ड और इसके अभिकरण।

श्री तिम्मय्या : हथकरघा स्वामियों और विद्युत करघा स्वामियों के बीच किस मात्रा में कच्चा रेशम बांटा जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना मिलनी चाहिए।

श्री तिम्मय्या : कितना कच्चा रेशम बच जाता है जो बांटा नहीं जाता ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि इस रेशम में से १,००,००० पौन्ड रेशम बांटा जा चुका है और शेष बकाया पड़ा है।

श्री तिम्मय्या : क्या किसी राज्य ने यह निवेदन किया है कि यह कच्चा रेशम राज्य सरकारों में बांट दिया जाना चाहिए ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह राज्य सरकारों सहकारी संगठनों और वास्तविक उपभोक्ताओं को भी बांटा जाता है। यदि कोई राज्य सरकार यह निवेदन करती है कि इसे इतनी मात्रा निर्धारित कर दी जाए, तो निश्चय ही केंद्रीय रेशम बोर्ड उस निवेदन पर ध्यान देता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस समय भारत में कच्चे विदेशी रेशम की अधिक मांग नहीं है, इसलिये क्या सरकार चीन से और अधिक रेशम मंगवाने पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य की धारणा को नहीं मान सकता। यह सच नहीं है कि इस देश में इस प्रकार के रेशम की अधिक मांग नहीं है, किन्तु हमें देशी रेशम उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात को नियमित करना पड़ता है।

पुर्तगाली बस्तियों के लिये पाकिस्तानी चावल

*४८६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत-स्थित पुर्तगाली बस्तियों को चावल भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : खबरों से पता चला है कि गोआ में पुर्तगाली अधिकारी अपनी आवश्यकता के लिये पाकिस्तान से चावल खरीदते रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : और कौन कौन से देश हैं, जो उनको सहायता दे रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : यह हमें पता नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को मालूम हो गया है कि गोआ में पाकिस्तानी मुद्रा भी चल रही है ?

श्री सादत अली खां : नहीं श्रीमान् ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमें पता नहीं ।

चलचित्र संगीत का प्रसारण

*४८८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्रों के संगीत के प्रसारण के विषय में सरकार ने अब तक कितने चलचित्र निर्माताओं के साथ करार किया है ; और

(ख) करार की क्या शर्तें हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ११४ निर्माताओं ने अपने संविदाओं की समाप्ति को वापस लेने के लिये सरकार को लिखा है और उन्हें नवीन रूप देने की अपनी इच्छा प्रकट की है ।

(ख) करार की निम्न शर्तें होंगी :

(१) आकाशवाणी द्वारा प्रति संगीत के प्रति प्रसारण पर निर्माताओं को १ रुपया मिलेगा ।

(२) प्रसारण के समय कलाकार और चलचित्र का नामोल्लेख किया जाएगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सब निर्माताओं के साथ एकरूप नीति से व्यवहार किया जाता है अथवा निर्माताओं के बीच कोई भेद किया जाता है ?

डा० केसकर : भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है । संविदा सदा व्यक्तिगत निर्माता के साथ सही किया जाता है और इकट्ठे समूह के साथ नहीं । प्रत्येक निर्माता को ऐसी शर्तों को मानने और उनके अनुसार संविदा करने की स्वतंत्रता होती है, जो परस्पर संतोषप्रद हों ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि निर्माताओं की कई सन्थायें हैं और क्या निर्माताओं के साथ इन सन्थाओं के द्वारा बात चीत की जाती है अथवा व्यक्तिगत रूप से ? उदाहरणार्थ, भारतीय मोशन चलचित्र निर्माता सन्था अथवा भारत के निर्माता गिल्ड ।

डा० केसकर : मुझे विदित है कि विभिन्न सामर्थ्य और प्रकार की बहुत सी चलचित्र निर्माता सन्थायें हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने सब से

बड़ी चलचित्र संस्था से बातचीत करने से इन्कार कर दिया है और क्या यह भी सच है कि उन्होंने उस निकाय के प्रधान से मिलने से भी इनकार कर दिया है ?

डा० केसकर : दोनों बातें गलत हैं। पहले तो, किसी के साथ बातचीत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । माननीय मित्र इस विवाद को जानते हैं, और स्वयं उन्होंने इस विषय में पहले कई प्रश्न पूछे थे । उन्हें भली भांति विदित है कि निर्माताओं ने अपने गीतों के बारे में दिये जाने वाले निर्णय के विरुद्ध विरोध के रूप में अपने संविदा वापिस ले लिये और आकाशवाणी से विवाद जारी रखा । वे स्वयं चाहते हैं कि उनके साथ नये सिरे से बातचीत की जाए । हमने उन्हें यह बताया है कि यदि उन्हें ऐसा अनुभव होता है, तो उन्हें संविदाओं को नवीन रूप देने की स्वतंत्रता है । उन लोगों के साथ संतोषप्रद करार किये जा चुके हैं, जो हमारे साथ बात-चीत करने के लिये आगे आए थे। अन्य लोगों को भी ऐसा करने की स्वतंत्रता है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार ने चलचित्र संगीत की लोकप्रियता का अनुमान लगाने के लिये श्रोताओं का सर्वेक्षण किया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

डा० केसकर : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

नदी गेज (मापक)

* ४८९. **श्री सारंगधर दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलप्रवाह का निश्चय करने के लिये देश की महत्वपूर्ण नदियों में नदी गेज (मापक) लगाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हां, श्रीमान् ।

श्री सारंगधर दास : क्या ब्रह्मणी नदी के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े नहीं थे, जिस से सरकेला इस्पात संयंत्र को क्षति पहुंची है ।

श्री हाथी : अब ब्रह्मणी नदी पर हमारे दो केन्द्र हैं ।

श्री सारंगधर दास : कितने वर्षों के आंकड़े एकत्र किये गये थे ?

श्री हाथी : मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है कि कितने वर्षों से आंकड़े एकत्र किये गये थे, किन्तु कम-से-कम गत तीन वर्षों से हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इन नदी गेजों की स्थापना समस्त देश के लिये अपेक्षित जल प्रवाह संबंधी आंकड़े एकत्र करने की अत्यन्त व्यापक योजना का एक भाग है, अथवा यह कोई पृथक परियोजना है ?

श्री हाथी : वस्तुतः कुछ स्टेशन (केन्द्र) थे किन्तु हम समस्त देश के आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं । अब यह उस योजना का ही अंग है ।

काश्मीर

*४९०. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने वर्तमान में दिये गये गृह-कार्य मंत्री के काश्मीर संबंधी भाषण के बारे में कोई संचार भेजा है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान को कोई उत्तर भेजा जा चुका है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। उत्तर भेजा जा चुका है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : पाकिस्तान की क्या शिकायत थी और भारत सरकार का क्या उत्तर था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गोपनीय पत्रव्यवहार की चर्चा करने की रीति नहीं।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या गृह-कार्य मंत्री का भाषण काश्मीर समस्या संबंधी भारत सरकार की नीति और विचारों के अनुकूल थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कह दिया है कि हम यहां पर गोपनीय पत्र-व्यवहार की चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या गृह-कार्य मंत्री का भाषण सरकार की नीति के अनुकूल था, अथवा इस से कुछ भिन्न था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं, उनका भाषण अनुकूल था। गृह-कार्य मंत्री ने अपने किसी भी वक्तव्य में यह नहीं कहा कि हम अपने पिछले वचनों का उल्लंघन करना चाहते हैं। गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि पिछले छः सात वर्षों में बहुत सी घटनाएं हुई थीं, जिन को इस मामले पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा। अतः हम अपने वचनों पर दृढ़ हैं और हम इस अवधि के अन्दर हुई घटनाओं पर भी विचार करना चाहिये।

श्री कामत : क्या सरकार का ध्यान कुछ समय पूर्व मद्रास में दिये गये पाकिस्तान के उच्चायुक्त के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री ने जो उत्तर भेजा था, वह व्यक्तिगत रूप में भेजा गया था और शासकीय रूप में नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, मैं ने इस आशय का समाचार पढ़ा था।

श्री कामत : क्या यह वास्तव में ही व्यक्तिगत रूप में था, या शासकीय रूप में ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

भारी जल संयंत्र

*४९१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी जल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). अणु शक्ति आयोग द्वारा गत वर्ष एक योजना बनाई गई थी और वह सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रविधिक ब्योरा तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उस प्राविधिक समिति में कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी हैं ?

श्री जवाहरलाल नहरू : मुझे ऐसी आशा नहीं ; यदि माननीय सदस्य चाहते

हैं कि सदस्यों के नाम सुनाये जाए, तो उस के सभापति हैं : श्री नागराज राव, जो भारत सरकार के मुख्य औद्योगिक मंत्रणादाता हैं। उनके अतिरिक्त सिन्दरी उर्वरक तथा रसायन लिमिटेड, के श्री के० सी० शर्मा ; टाटा रसायन तथा परियोजना अधिकारी, श्री सी० आर० वी० राव ; अणुशक्ति विभाग, बम्बई के श्री एन० पी० प्रसाद ; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विकास कक्ष के डा० काने। ये चार सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस कारखाने की लगभग लागत का अनुमान लगाया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मामला भाखड़ा-नंगल के समीपवर्ती उर्वरक परियोजना से संबंधित है जिसक विषय में कुछ प्रश्न पूछे गये थे यह संयुक्त परियोजना है--उर्वरक एवं भारी जल--और मेरे साथी उत्पादन मंत्री ने इसका उत्तर दिया था। वह लागत का अनुमान नहीं बता सकते, क्योंकि संभवतः अभी तक समिति ने लागत का हिसाब नहीं लगाया है। मैं समझता हूं, कुछ लगभग आंकड़े बताये जा सकते हैं किन्तु इसका कोई लाभ नहीं होगा।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं कि नवीन उर्वरक तथा भारी जल के कारखाने के लिये पहले ही कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और होशियारपुर जिले के कुछ गांवों को इस आशय का नोटिस दिया जा चुका है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, किन्तु मुझे आशा है कि यह बात ठीक होगी, क्योंकि हम पंजाब सरकार को इस मामले को आरंभ करने के लिये बहुत देर से कह रहे है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*४९२. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये एक कमरे वाले फ्लैट बनाने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा ही नहीं होता।

डा० सत्यवादी : क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि चतुर्थ श्रेणी के मुलाज़िमों के लिये एक कमरे का क्वार्टर नाकाफ़ी है, क्योंकि आम तौर पर उनकी औलाद ज्यादा होती है ?

श्री करमरकर : इस विषय में जब हम ने सोचा था, तो औलाद के बारे में नहीं सोचा--हमने क्वार्टर्स के बारे में सोचा था। हम जानते हैं कि एक कमरे से दो कमरे अच्छे होते हैं। हम ने जल्दी से जल्दी ज्यादा कोठियां बनानी हैं, इसीलिए हमने यह रास्ता अख्तियार किया हैं। जब हम काफ़ी बस्तियों का निर्माण कर लेंगे, उसके बाद माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत में भतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

*४७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** १४ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के विधि अनुसार हस्तांतरण के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(ख) क्या वित्तीय आयोग और शिक्षा सम्बन्धी संयुक्त आयोग ने अपना काम समाप्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो विधि अनुसार हस्तांतरण कब होगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). संयुक्त वित्तीय आयोग का काम लगभग समाप्त हो चुका है । शिक्षा आयोग के सम्बन्ध में, कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी तय की जानी हैं किन्तु आशा है कि यह आयोग भी अपना काम शीघ्र समाप्त कर लेगा।

विधि अनुसार हस्तांतरण के हेतु चर्चा आरंभ करने के लिए भारत सरकार ने एक विधि-अनुसार संधि का मसौदा फ्रांस सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । इस समय फ्रांस सरकार इसका अध्ययन कर रही है और आशा है कि विधि-अनुसार हस्तांतरण के विषय में बातचीत शीघ्र शुरू हो जायगी ।

कपड़ा उद्योग

*४७६. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र में कोयले के ऊंचे भावों के कारण वहां कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोयले का एक समान भाव निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फ्रांसीसी सिक्के

*४८३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उन क्षेत्रों में जो कुछ समय पूर्व ही फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र थे, फ्रांसीसी सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रह गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ग) क्या फ्रांसीसी सिक्कों के लिये सरकार को फ्रांसीसी सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि देनी पड़ी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (घ). फ्रांसीसी भारत के शासन ने अपने कोई सिक्के जारी नहीं किये थे ओर पांडिचेरी में पहले ही से केवल भारतीय सिक्के प्रचलित थे । लेकिन फ्रांसीसी शासन ने अपने नोट जारी कर दिये थे जो अब भारतीय सिक्कों में बदले जा रहे हैं ।

भारत-फ्रांसीसी समझौते के अनुसार, फ्रांसीसी सरकार, जो चालू नोट वापस आये हैं उनका मूल्य भारत सरकार को अदा करेगी ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*४८७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में फोर्ड प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल की वे सिफारिशें क्या हैं जो सरकार ने अब तक स्वीकार की हैं; और

(ख) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८**].

श्रीलंका में भारतीय

*४९४ **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री आर० एस० तिवारी :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक भारतीय उद्भव के लोगों से लंका की नागरिकता के लिए कुल कितने प्रार्थनापत्र श्री लंका की सरकार ने स्वीकार किये हैं ; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जनवरी से मई १९५५ के अन्त तक श्रीलंका की सरकार ने १४६ प्रार्थनापत्र स्वीकार किये ।

(ख) ११,९१६ ।

रबड़ और चाय के बागान

*४९५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बागान मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न राज्यों में रबड़ और चाय की कृषि आरंभ की है :

(ख) इन बागानों का क्षेत्रफल कुल कितने एकड़ है; और

(ग) भारतीय और विदेशी कर्मचारियों की संख्या पृथक पृथक क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) से (ग) . जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

इबोनायड ब्लाक

*४९६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के दौरान में मंत्रालय की चित्र सेवाओं का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या इबोनायड ब्लाक निर्माण सेवा के लिए दी गई राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किन किन चीजों पर खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

*४९८. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों की, जिन के पास पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पतियों के पड़ताल किये हुए दावे हैं, सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्यों से १९५४ में प्रतिकर प्रार्थनापत्र देने के लिए कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, १९५४ तक ऐसे कुल कितने प्रार्थनापत्र दिये गये थे; और

(ग) ३० जन, १९५५ तक ऐसे कुल कितने प्रार्थियों को प्रतिकर दिया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) ५४०७ ।

(ग) १०९५, उत्तर प्रदेश के देहरादून, सहारनपुर और आगरा हल्कों के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं ।

सीमान्त पुलिस

*५००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त पर गश्त करने वाले (पुलिस या सेना) के कितने कर्मचारी १ जनवरी, १९५५ से पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमान्त पुलिस द्वारा अपहृत किये गये हैं या बलपूर्वक ले जाये गये हैं ;

(ख) क्या उन्हें सुरक्षित रूप में वापस किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन में से कितने अभी पाकिस्तान की अभिरक्षा में हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). भारत सरकार की जानकारी के अनुसार, १ जनवरी, १९५५ से पाकिस्तानी राष्ट्र-जन भारतीय सीमान्त पुलिस के दो सदस्यों को बलपूर्वक ले गये हैं । इन में से एक व्यक्ति २० जून, १९५५ को रिहा कर दिया गया था और वह अब भारत में वापस आ गया है । दूसरा व्यक्ति अभी पाकिस्तान में निरुद्ध है ।

रबड़ और चाय बागान

*५०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में विदेशियों के रबड़ और चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक के कुएं

*५०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में नमक के कुओं के विस्तार और सुधार के लिए क्या योजनाएं क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री रतीश चन्द्र) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है

जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

देहातों में विद्युतीकरण

*२१५. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा-नंगल से जल-विद्युत उपलब्ध होने के बाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ग्रामों में और किन ज़िलों में बिजली लगाई जायेगी; और

(ग) प्रति यूनिट लगभग कितनी लागत ली जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुन झुनू और नागोर जिलों में १०,००० तक की जन संख्या वाले सताईस नगरों और ग्रामों में बिजली लगाई जायेगी ।

(ग) **प्रकाश के लिए**—लगभग ४ आना प्रति यूनिट ।

यंत्र-चालन के लिए—०.७५ से १.४ आना प्रति यूनिट (जो कि उद्योग के बड़े या छोटे होने पर निर्भर है) ।

प्रबन्ध पद

२१६. **श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मंत्रालय के अधीन राज्य औद्योगिक उपक्रमों में प्रबन्ध पदों की कुल संख्या क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

'गोआ और हम' नामक पुस्तिका

२१७. **श्री पुन्नूस** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हाल में बम्बई में प्रकाशित 'गोआ और हम' नामक पुस्तिका में भारत-विरोधी प्रचार भरा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). श्री बोमन बहराम की लिखी हुई 'गोआ और हम' नामक एक पुस्तक, बम्बई के आर्च-डायोसीज के मुद्रणालय एग्जामिनर प्रेस ने छापी थी । यद्यपि लेखक का दावा है कि इसमें 'गोआ दृष्टिकोण' को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, वास्तव में यह पुर्तगाली प्रचार है जैसा कि पुर्तगाली सरकारी समाचारों, विज्ञप्तियों आदि में किया जाता है । एग्जामिनर प्रैस के प्रबन्धक ने २ अप्रैल के 'दी एग्जामिनर' में एक वक्तव्य में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि उसने हस्त-लिपि पढ़े बिना यह पुस्तक छाप दी है और इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें गोआ की विवादास्पद समस्या का पक्ष-पात पूर्ण वर्णन किया गया है । एक सम्पादकीय टिप्पणी में 'दी एग्जामिनर' ने आगे कहा है कि पुस्तक का उद्देश्य गोआ के मामले में गलतफहमी फैलाना है और यह किसी पक्षपाती व्यक्ति ने लिखी है । एग्जामिनर प्रैस के प्रबन्धक के इन वक्तव्यों को ध्यान में

रखते हुए, सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

विज्ञापन

२१८. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा १९५४-५५ में समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर पृथक पृथक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) उसमें से अंग्रेजी तथा देशी भाषा के समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर कितनी कितनी राशि व्यय की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) रेलवे मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों की ओर से आकर्षक (डिस्पले) विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन शाखा द्वारा दिये जाते हैं । १ अगस्त १९५४ से रेलवे मंत्रालय को छोड़कर अन्य सभी के वर्गीकृत विज्ञापन भी विज्ञापन शाखा द्वारा ही दिये जाते हैं । नीचे की तालिका में विज्ञापन शाखा द्वारा १-४-५४ से ३१-३-५५ तक विभिन्न मंत्रालयों की ओर से जारी किये गये विज्ञापनों का व्यय दिया गया है और वर्गीकृत विज्ञापनों का व्यय १-८-५४ से ३१-३-५५ तक का दिया गया है ।

तालिका

मंत्रालय	व्यय	
	सामान्य विज्ञापन १-४-५४ से ३१-३-५५ तक	वर्गीकृत विज्ञापन १-८-५४ से ३१-३-५५ तक
वित्त	४,७०,७९५- ६-०	१५,०५१- ९-६
वाणज्य और उद्योग	१,०८,६८२-१३-०	७,१२९- ९-०
निर्माण, आवास और पूर्ति	१,२१,३७९- ७-०	४०,८७५- १-६
प्रतिरक्षा	६२,६६१-१४-०	३०,६७५- ४-०
सूचना और प्रसारण	५७,७९७- ४-०	४,८१७- ०-०
संचार	१८,३४६- ०-०	२४,८८३-११-०
शिक्षा	५,६४९- ८-०	२२,५६७- २-०
खाद्य और कृषि	५,१०२- ०-०	१३,७१२- ०-०
परिवाहन	९९,७९८- ०-०	७,५१७-१४-९
उत्पादन	२००- ०-०	२९१- ६-०
पुनर्वास	–	४३,४८६-११-०
श्रम	–	८,६८३- ८-६
स्वराष्ट्र (इसमें संघीय लोक सेवा अयोग भी सम्मिलित है)	–	२,४९,८२७- ७-०
सिंचाई और विद्युत	–	८५९- ६-९
प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक गवेषण	–	८,००४- १-०
विदेश	–	३,३९५-१०-०
स्वास्थ्य	–	४,२०५- ८-०
लोक-सभा सचिवालय	–	६६०-१२-०
राष्ट्रपति सचिवालय	–	५५१-१४-०
योग-	९,५०,४१२- ०-०	४,८३,१६५- ७-९

कुल योग- रुपये १४,३३,५७७- ७-९

(ख) अंग्रेजी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को १०,२१,६२८–५–३ के और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को ४,११,९४९–२–६ के सामान्य और वर्गीकृत विज्ञापन दिये गये।

मोटर कारें

२१९. **श्री इब्राहीम :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १९५४-५५ में आयात की गई मोटर कारों के क्रय और विक्रय मूल्यों का प्रतिशत अन्तर बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : वाणिज्यक स्तर पर स्टाक करने और बेचने के प्रयोजनों से बनी बनाई मोटर गाड़ियों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः उन के क्रय विक्रय का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत में अंशतः निर्माण और एकत्रित की गई मोटर कारों के फैक्टरी पर के मूल्यों और उनके अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्यों में प्रतिशत अन्तर १७ १/२ प्रतिशत है।

नमक

२२०. **श्री इब्राहीम :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से मार्च, १९५५, तक पूर्वी पाकिस्तान को कितना नमक भेजा गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १६६ टन।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

२२१. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ में भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए; तथा

(ख) भारत को उन से क्या क्या लाभ प्राप्ति हुई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी

२२२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार को दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संगठन से एक अभ्यावेदन उक्त संगठन के अतिरिक्त कर्मचारियों को खपाए जाने के बारे में प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि मिला है तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) डी० वी० सी० के अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं और सरकारी कार्यों में खपाने के लिए काम दिलाऊ दफतरों द्वारा और ऐसे कर्मचारियों की सूचियों के परिचालन द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं।

यूरेनियम

२२३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब के शिकारपुर नामक स्थान पर उच्चकोटि का यूरेनियम प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार को इस के बारे में कोई खबर नहीं है ।

हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था

२२४. **श्री नाना दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था के पार्षत्-सीमानियम इत्यादि की एक प्रति सभापटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक-बोर्ड की रचना किस प्रतिनिधान-आधार पर की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संस्था के उपनियमों की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२३५/५५]**

इस संस्था के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर, संस्था के उपनियम १२ (१) के अनुसार अखिल भारतीय हथकर्घा बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से की गई है ।

भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत के सरकारी कर्मचारी

२२५. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के कोई पदाधिकारी भारत संघ में काम करने के लिए नियुक्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप उनके पारिश्रमिक में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पांडीचेरी राज्य के भूतपूर्व फ्रांसीसी डाकघरों के कुछ कर्मचारियों को भारत संघ के डाक तथा तार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

(ख) १० क्लर्क, ६ पोस्टमेन, २ दैनिक वेतन वाले पोर्टर्स, १ आफिस में काम करने वाला कर्मचारी और १ व्यक्ति दैनिक वेतन पर लिखने वाला । एक व्यक्ति को छोड़ कर सब कर्मचारी पांडीचेरी राज्य के भारतीय डाक तथा तार विभाग के दफ्तरों में नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) तथा (घ). प्रारम्भ में उन्हें भारतीय वेतन-क्रम दिए गए थे जो उन वेतन-क्रमों से कम थे जो उन्हें फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन प्राप्त थे । अब उन्हें वह वेतन-क्रम दे दिए गए हैं जो उन्हें वास्तविक हस्तान्तरण से पूर्व प्राप्त थे ।

जस्ती लोहे की चादरें

२२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि मनीपुर में अभी तक जस्ती लोहे की चादरों पर नियन्त्रण लागू है और वह ९४ रुपया प्रति बंडल की दर से बिक रही हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । जस्ती लोहे की चादरें

नियन्त्रित वस्तु हैं । इम्फाल में इन चादरों का वर्तमान नियन्त्रित मूल्य दो हंडरड-वेट के प्रति बंडल के लिए ८४ रुपया है ।

फ्रांसीसी सिक्के

२२७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पांडिचेरी के क्षेत्र में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित हैं;

(ख) ये सिक्के किस धातु के बने हुए हैं; और

(ग) इस समय वहां पर प्रचलित फ़्रांसीसी सिक्के का अनुमानतः कितना मूल्य है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). फ़्रांसीसी भारत के शासन ने अपने कोई सिक्के जारी नहीं किये थे और पांडिचेरी राज्य में पहले ही से केवल भारतीय सिक्के प्रचलित थे । लेकिन फ़्रांसीसी शासन ने अपने नोट जारी कर दिये थे । ये अब भारतीय सिक्कों में बदले जा रहे हैं । अब तक चालू फ़्रांसीसी नोट का कुल मूल्य ४९,००० रु० है ।

मुस्लिम विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

२२८. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुस्लिम परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या पग उठाए गए हैं जो सामुदायिक झगड़ों के डर से अपने पेप्सु स्थित घरों और भूमियों को छोड़कर चले गए थे; तथा

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

लोक-सभा

वाद - विवाद

शुक्रवार,
५ अगस्त, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

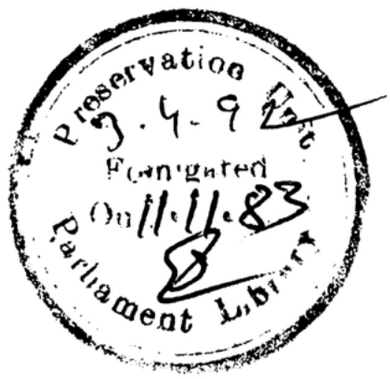

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——	
असमाप्त	४९८–५१०
अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र——	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन——	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२——	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५—— पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक——राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक——	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव——स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३९–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव——पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—— स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक-- .	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८--बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त	६९०–७९०

अंक ९-- गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७९१–७९३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
पुरःस्थापित	७९३
सभा-पटल पर रखा गया पत्र--	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७९३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया	७९३–८१८
श्री पाटस्कर	७९३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

स्तम्भ

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ८८१-८८३

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ८८४-८६६

अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति--

बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ८६७

विधि आयोग के बारे में वक्तव्य ८६७-९००

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--

खण्ड २ से ६ और १ ९००-९०१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ९०१-९०५

नागरिकता विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--

असमाप्त ९०५-९३६

तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत ९३६-९४१

बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत ९४१

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित ९४१-९४२

बाल विवाह रोक (संशोधन)

विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित ९४२

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित ९४२-९४३, ९५८-९५९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४३५ का संशोधन)--

विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद

स्थगित ९४३-९४७

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)

वापस लिया गया ९४७-९५८

कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)

पुरःस्थापित ९५९

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--

(धारा २ और ४ का संशोधन)--

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया ९५९

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति— . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

स्तम्भ

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुन:प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुर:स्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

———————

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री एम० ए० अयंगार : (तिरुपति) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधि आयोग

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : आपकी अनुमति से मैं विधि आयोग के संबंध में एक घोषणा करना चाहता हूं । समय समय पर संसद् में तथा संसद् के बाहर इस बात के सुझाव दिये गये हैं कि हमारे परिनियम विधि का पुनरीक्षण करने के लिये तथा देश की न्यायिक-प्रशासन प्रणाली में सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक विधि आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । कुछ मास पूर्व श्री तिम्मय्या के इसी प्रकार के एक संकल्प पर इस सभा में वादविवाद भी हुआ था । उस अवसर पर प्रधान मंत्री ने सिद्धान्त रूप में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विधि आयोग के निर्देश पद क्या हों, उस में किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये तथा व्यौरे सम्बन्धी अन्य बहुत सी बातों पर सरकार विचार कर रही है ।

भारत सरकार ने अब इन सदस्यों का एक विधि आयोग नियुक्त करने का विनिश्चय किया है :—

(१) श्री एम० सी० सीतलवाद, महाधिवक्ता भारत, (सभापति)

(२) श्री एम० सी० छागला, मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय बम्बई,

(३) श्री के० एन० वांचू, मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, राजस्थान,

(४) श्री जी० एन० दास, सेवानिवृत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, कलकत्ता,

(५) श्री पी० सत्य नारायण राव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मद्रास

(६) डा० एन० सी० सेनगुप्त,अधिवक्ता, कलकत्ता,

(७) श्री वी० के० टी० चारी, महाधिवक्ता, मद्रास,

(८) श्री नरस राजू, महाधिवक्ता आंध्र,

(९) श्री एम० एस० सिक्री, महाधिवक्ता, पंजाब,

(१०) श्री जी० एस० पाठक, अधिवक्ता इलाहाबाद, तथा

[श्री विश्वास]

(११) श्री जी० एन० जोशी; अधिवक्ता, बम्बई ।

आयोग के निर्देश पद यह होंगे : पहला, न्यायिक-प्रशासन प्रणाली के हर पहलू का पुनर्विलोकन करना, उसमें सुधार करने के साधनों और उपायों का सुझाव देना, तथा उसे शीघ्रता के साथ काम निपटाने वाला तथा कम खर्च वाला बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देना ; और दूसरा, सामान्य प्रवर्तन तथा महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों की जांच करना और यह सिफारिश करना कि इन का संशोधन, पुनरीक्षण या समेकन किस प्रकार से किया जाये तथा इन्हें अन्य प्रकार से अद्यतन कैसे बनाया जाये ।

जहां तक पहले निर्देश पद का सम्बन्ध है आयोग की—न्यायिक प्रशासन प्रणाली संबंधी जांच व्यापक तथा पूर्णरूपेण होगी तथा उसके क्षेत्र में यह बातें सम्मिलित होंगी—. (क) अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने तथा मुकदमों के निपटारे में शीघ्रता किये जाने तथा न्याय प्राप्त करने के खर्च को कम करने की दृष्टि से मौलिक तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों का प्रवर्तन तथा प्रभाव ; (ख) व्यवहार संबंधी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के न्यायालयों का संगठन ; (ग) न्याय-पालिका की भर्ती ; तथा (घ) वकीलों का तथा विधि शिक्षण का स्तर ।

जहां तक दूसरे निर्देश पद का संबंध है वर्तमान विधानों के पुनरीक्षण के संबंध में आयोग के मुख्य उद्देश्य होंगे—(क) सामान्यतः विधियों का तथा विशेषतः प्रक्रिया संबंधी विधियों को सरल बनाना ; (ख) इस बात का निश्चय करना कि कोई उपबंध संविधान के साथ असंगत तो नहीं है तथा परिवर्तनों तथा लुप्तियों के सुझाव देना; (ग) उच्च न्यायालयों के विरोधी विनिश्चयों से या अन्य प्रकार से प्रकट होने वाली व्यर्थ बातों और असंगतियों को दूर करना (घ) एकरूपता का फिर से समावेश करने तथा उसे बनाये रखने की दृष्टि से समवर्ती क्षेत्र में राज्य विधानों द्वारा किये गये स्थानीय परिवतनों पर विचार करना ; (ड) एक ही विषय सम्बन्धी अधि-नियमों का ऐसे प्रविधिक पुनरीक्षण के साथ समेकन करना जैसा कि आवश्यक समझा जाये ; तथा (च) संविधान में निर्धारित राज्यनीति के निदेशक तत्वों के परिपालन के लिये जहां भी आवश्यक हो रूप भेदों के सुझाव देना ।

अपना कार्य कुशलता तथा दक्षता के साथ करने के लिये आयोग दो खण्डों में कार्य करेगा । सभापति तथा पहले तीन सदस्यों का पहला खण्ड मुख्यतः न्यायिक प्रशासन के सुधार के संबंध में कार्य करेगा और अन्य सात सदस्यों का दूसरा खण्ड मुख्यतः परिनियम विधि के पुनरीक्षण का कार्य उपर्युक्त निर्धारित रीति के अनुसार करेगा । परन्तु दोनों खण्ड सभापति के निदेशन के अंतर्गत निकट पारस्परिक सहयोग के साथ कार्य करेंगे । आयोग का सभापति अपने सद्विवेक के अनुसार किसी राज्य में की जा रही जांच में सहायता देने के लिये उस राज्य के एक दो विधि व्यवसाय करने वाले वकीलों को सदस्य के रूप में विनियुक्त कर सकता है ।

आयोग की नियुक्ति पहली बार १९५६ के अंत तक के लिये की गई है । उसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में रहेगा ।

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(धारा ६ इत्यादि का संशोधन)

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गूह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति २० में 'may be enforced' ["लागू किया जाये"] शब्दों के पश्चात 'or acted upon' ["या उसको व्यवहार में लाया जाये"] शब्द रखे जायें।

इन शब्दों में वे मामले भी आ जायेंगे जिनमें कि बैंक वास्तव में अनुदान के आधार पर कार्य करता है परन्तु अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको लागू नहीं करता है। इस से खण्ड के प्रयोजन में कोई अन्तर नहीं पड़ता है वरन् इसके द्वारा केवल कुछ आकस्मिकताओं के लिये उपबंध किया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति २० में, "may be enforced" ["लागू किया जाये"] शब्दों के पश्चात "or acted upon" [या उसको व्यवहार में लाया जाये"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ४ से ९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री ए० सी० गुह: मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तु हुआ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : इस संशोधन के द्वारा इम्पीरियल बैंक की विदेशी शाखाओं का कार्य भी इस अधिनियम की परिधि में लाया जा रहा है। इस अवसर पर यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इस देश का विदेशी विनियम बैंकिंग व्यापार धीरे धीरे राज्य बैंक तथा इस देश के विभिन्न गैर सरकारी बैंकों के पास आ जाये इस के लिये भारत सरकार द्वारा कौन से उपाय किये जा रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा कि आपको ज्ञात ह हमारा आयात निर्यात व्यापार लगभग एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का होता है, परन्तु इसका लगभग ८० प्रतिशत व्यापार विदेशी बैंकों के द्वारा ही होता है। एक दो देशी बैंकों ने इस व्यापार में प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु विदेशी बैंक सैंकड़ों वर्षों से इस व्यापार को कर रहे है और उन्होंने ऐसा पैर जमा रखा है कि वह देशी बैंकों को इस काम में घुसने नहीं देते हैं। जहां तक मुझे पता चला है रक्षित बैंक भी इस संबंध में देशी बैंकों पर कोई दबाव नहीं डालता है। इसके अतिरिक्त एक और बात यह भी है कि भारत सरकार स्वयं सब से बड़ी आयातकर्त्ता है। निर्माण, अवास तथा संभरण मंत्रालय ने लगभग ८० करोड़ रुपये आयात किया है और सरकार अपने विकास कार्यों के लिये अब भी मशीनों तथा अन्य सामग्रियों का आयात कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक संशोधक विधेयक है। यहां पर हम सम्पूर्ण विषय पर कोई सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : विदेशी विनिमय तथा विदेशी विनियोजन के सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री से पूछ

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सकता हूं कि क्या इसके संबंध में इम्पीरियल बैंक का कार्यकरण अकुशल था तथा इसके संबंध में भारत के राज्य बैंक से क्या आशा की जाती है ?

श्री ए० सी० गुह : सरकार इस बात से पूर्णतः सहमत है कि भारतीय बैंक भारत के विदेशी विनिमय व्यापार में अधिक से अधिक भाग लें और इस के लिये भारतीय बैंकों की सहायता करने का भी प्रयत्न कर रही है । परन्तु यह ऐसा प्रश्न है जो बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि इस व्यापार में भारत के बैंक विदेशी बैंकों के साथ कहां तक प्रतियोगिता कर सकते हैं । भारत में व्यापार करने वाले विदेशी विनिमय बैंकों की तुलना में बड़े से बड़े भारतीय बैंक के भौतिक संसाधन बहुत ही कम हैं । लायड्स बैंक का निक्षेप १,६०० करोड़ रुपये के लगभग है, जो कि इम्पीरियल बैंक का निक्षेप, जो भारत का सब से बड़ा वाणिज्यक बैंक है, केवल २०० करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक है । विदेशी विनिमय बैंकों की शाखायें सारे संसार में फैली हुई है जब कि भारतीय बैंकों की भारत के बाहर बहुत ही कम शाखायें हैं ।

विदेशी विनिमय का जितना सरकारी कार्य होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग वैसे ही भारतीय बैंकों द्वारा किया जाता है । शेष कार्य के संबंध में सरकार विचार कर रही है, और यदि भारतीय बैंकों की क्षमता इत्यादि के कारण कोई कठिनाई न हुई तो सरकार इसे भी भारतीय बैंकों के सिपुर्द कर देगी । परन्तु प्रश्न यही उठ खड़ा होगा कि क्या भारतीय बैंक इस प्रकार के काम को निपटा सकेंगे और अभी सरकार का कमीशन पर जो खर्च हो रहा है उसमें क्या अंतर पड़ेगा ।

इम्पीरियल बैंक तथा राज्य बैंक को विदेशी अस्तियों तथा देयताओं तथा निक्षेपों के कुछ आंकड़े मैं ने कल बताये थे । इम्पीरियल बैंक तो अपनी विदेशी शाखाओं द्वारा, विदेशी व्यापार से, ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले छ महीनों में, इंगलैंड में १०६ लाख रुपये, पाकिस्तान में ६.३९ लाख रुपये, लंका में १.०४ लाख रुपये तथा बर्मा में १.४६ लाख रुपये कुल मिलाकर ८.९५ लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है ।

इम्पीरियल बैंक के खाते में पहली जुलाई को १३.६२ करोड़ रुपये थे और यह राशि २२ जुलाई, को १३.३५ करोड़ रुपये हो गई थी ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : विदेशों में इम्पीरियल बैंक के लेखे राज्य बैंक के नाम तभी किये जाते हैं जब कि तत्संबंधी सरकारों की सहमति प्राप्त हो जाये ?

श्री ए० सी० गुह : विदेशों में हमें वहां की विधियों का पालन करना पड़ता है और ऋण लेने वालों की सहमति का भी ध्यान रखना पड़ता है ।

श्री मुहीउद्दीन : कल माननीय मंत्री ने बताया कि एक मास में आस्तियां १४ करोड़ रुपये से कम होकर ७ करोड़ रुपये हो गई हैं । क्या यह विदेशों में आस्तियों के कम हो जाने का प्रभाव है ?

श्री ए० सी० गुह : मैंने अग्रिम दान तथा निक्षेपों के संबंध में कहा था । यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य निश्चित आस्तियों से हो तो उन में कोई अंतर नहीं पड़ा है । निश्चित आस्तियां ५१.८४ लाख रुपये होंगी ।

श्री मुहीउद्दीन : निश्चित आस्तियां मकान, मेज, कुर्सी इत्यादि--किस प्रक्रिया के अनुसार इम्पीरियल बैंक के नाम से हटाकर राज्य बैंक के नाम की जायेगी ?

श्री ए० सी० गुह : इसका कोई निश्चित सूत्र मैं नहीं ता सकता हूं। विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके होंगे। इस का हमें ध्यान रखना होगा कि केवल इस फेर दल करने में हमारा बहुत खर्चा न हो जाये।

श्री मुहीउद्दीन : क्या विदेशी सरकारों ने अपने अपने देशों में राज्य बैंक की शाखायें खोलने की अनुमति दे दी है ?

श्री ए० सी० गुह : अवश्य, मैंने इसके सम्बन्ध में कल उल्लेख किया था। किसी भी बैंक को जो कि किसी भी विदेश में अपनी शाखा खोलना चाहता है, उस सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। भारत में भी यदि कोई विदेशी बैंक अपनी शाखा खोलनी चाहेगा, तो उसे इस सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

श्री मुहीउद्दीन : क्या उन सरकारों द्वारा अनुज्ञा दे दी गयी है ?

श्री ए० सी० गुह : जी, हां। राज्य बैंक की शाखायें उन देशों में खोल दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया, जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नागरिकता विधेयक

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): में प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जायें, जिसमें ३० सदस्य इस सभा के, सदस्यों के नाम प्रस्ताव करते समय बताये जायेंगे, और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को, १६ नवम्बर, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ;

कि अन्य प्रकरणों में प्रवर समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

इस प्रस्ताव का जिस विधेयक से सम्बन्ध है, वह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है इस विषय का सम्बन्ध केवल नागरिकता से ही नहीं है अपितु, एक व्यापक क्षेत्र से है इस के द्वारा जहां एक ओर इस देश के नागरिक वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे जो कि इस वांछनीय प्रतिष्ठा के द्वारा प्राप्त होंगे, वहां पर अन्य व्यक्ति भी विशेष परिस्थितियों में वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में सभी अधिकार नागरिकता से ही प्राप्त होते हैं और इसके बड़े ही व्यापक परिणाम होते हैं। अतः इस विधयक पर जो कि नागरिकता के अधिकारों को प्राप्ति, त्याग, समाप्ति और वंचितता के उपाय निर्धारित करता है, ध्यानपूर्वक सोच विचार करने की आवश्यकता है। मैं सभा से अपील करूंगा कि वह इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, ताकि यदि इसमें कोई त्रुटियां हों तो वह हटायी जा सकें और यह विधेयक यथासाध्य पूर्ण बन सके।

[श्री जी० बी० पन्त]

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, नागरिकता के अधिकार स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त ही प्राप्त हुए हैं। उससे पूर्व जब हम विदेशी सत्ता के अधीन थे तो हमें ऐसे अधिकार नहीं के बराबर प्राप्त थे। हम तो साधारणतया ब्रिटिश नागरिकता तथा विदेशी अधिकार अधिनियम १९१४ के द्वारा शासित होते थे। बाद में वह अधिनियम संशोधित किया गया और १९४८ में वह समाप्त हो गया। उस अधिनियम के अधीन तो हम केवल एक विदेशी सम्राट की प्रजा बन सकते थे जिसके परिणामस्वरूप प्रजा होने के नाते हम पर दायित्व तो सभी आते थे परन्तु कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते थे। १९४७ तक हमारी ऐसी ही स्थिति रही।

हमारे देश में नागरिकता सम्बन्धी कोई विधि नहीं थी। केवल १९२८ में देशीयकरण से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्वहीन अधिनियम बनाया गया था जो कि हमारी अपेक्षा विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के लिये अधिक हितकर था। हमारे देश में इसके अतिरिक्त पंजीयन अथवा देशीयकरण से सम्बन्ध रखने वाली अथवा इसी प्रकार की कोई और भी विधि नहीं थी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जब एक नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ तो हमारे पास नागरिकता सम्बन्धी कोई विधि नहीं थी। संविधान सभा ने इस के विषय में अत्यधिक गंभीरतापूर्वक सोच विचार किया और उसक परिणामस्वरूप संविधान का भाग २ बनाया गया जिसमें ५ से ११ तक खण्ड हैं। उन खण्डों के अधीन ऐसा कोई भी व्यक्ति नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ था, यदि उसके जनकों में से कोई भी भारत में उत्पन्न हुआ हो, अथवा यदि वह पांच अथवा पांच से अधिक वर्षों तक भारत में रहा हो, शर्त यह है कि वह अधिवास की सभी शर्तों को पूर्ण करता हो। यही मुख्य खण्ड था। परन्तु प्रमुख रूप से इसका सम्बन्ध पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों से था। अतः ऐसा उपबंधित किया गया था कि उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार दिये जायें, जिनके जनकों अथवा महाजनकों का जन्म उस क्षेत्र में हुआ था जो कि इस समय पाकिस्तान में सम्मिलित है, परन्तु शर्त यह है कि वे १९ जुलाई, १९४८ से पूर्व भारत में आ गये हों। अतः अनेकों विस्थापित व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया। १९ जुलाई, १९४८ के उपरान्त आने वाले व्यक्तियों को भी, यदि वे मूल रूप में भारतीय थे भारत के नागरिक मान लिया गया था, परन्तु उन्हें अपने आपको पंजीबद्ध कराना पड़ता था, परन्तु शर्त यह थी कि पंजीबद्ध कराने से पूर्व वे यहां पर कम से कम छः मास तक रह चुके हों। एक और उपबंध भी रखा गया था जिसके अधीन भारत में स्थायी रूप से रहने की अनुमति देने वाले प्रमाणपत्र लेकर आने वाले व्यक्तियों को भी भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध किया गया था परन्तु शर्त यह थी कि वे व्यक्ति मूल रूप में भारतीय हों। इनके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी भारतीय वाणिज्य दूतावास में अपने आप को पंजीबद्ध करने के अधिकार दिये गये जिनके जनकों अथवा महाजनकों में से कोई भी भारत का नागरिक रहा था। संविधान में ये उपबंध सम्मिलित किये गये थे। परन्तु वे व्यापक नहीं थे और उनका सम्बन्ध मुख्य रूप से संविधान के प्रवर्तन की तिथि से था।

संविधान ने स्वयं ही, अनुच्छेद १० में और संघ सूची में प्रविष्ट संख्या १७ के द्वारा इस प्रकार के विधान के सम्बन्ध में विचार किया था जिसे हम इस समय संसद् द्वारा पारित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं संविधान के अधीन

संसद् को केवल ऐसा अधिकार ही दिया गया था, अपितु उससे ऐसी आशा भी की गयी है कि वह नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति और समाप्ति के विषय को नियमित करने के सम्बन्ध में एक व्यापक और पूर्ण विधान बनायेगी। उस समय से अब तक कुछ देर तो हो गयी है। देश में बहुत से बच्चे उ पन्न हो चुके हैं और पाकिस्तान से भी ऐसे बहुत से व्यक्ति यहां आये हैं; जिन्हें भारतीय नागरिकता के अधिकार प्रदान करने हैं। इसमें कुछ विलम्ब तो हुआ है, परन्तु फिर भी इतना विलम्ब नहीं हुआ है जितना कि अमेरिका में हुआ है। जब अमेरिकन संविधान पारित हुआ था तो उस समय उसमें "नागरिक" शब्द तो प्रयुक्त किया गया था, परन्तु "नागरिक" शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी थी और न ही उसमें नागरिकता की प्राप्ति के लिये कोई उपबन्ध रखा गया था उसके कई वर्ष उपरान्त १८६८ में, संविधान में १४वें संशोधन के द्वारा एक उपबन्ध रखा गया था। जिसके अधीन जन्म द्वारा अथवा पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्ति की जा सकती है।

अतः उन कठिनाइयों का विचार करते हुए, जिनका कि हमें पाकिस्तान से आने वाले हमारे सह-देश भक्तों के निरन्तर निष्क्रमण के कारण सामना करना पड़ा था। यदि कुछ विलम्ब हो भी गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है; इससे पूर्व कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अब वे पुरानी समस्यायें प्रायः हल हो चुकी हैं, अतः इसके सम्बन्ध में अब हम एक उपयुक्त विधि बना सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, नागरिकता विधि में साधारणतया चार बातें सम्मिलित हैं : नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता का त्याग, नागरिकता की समाप्ति, तथा नागरिकता के अधिकारों की वंचितता। हमारे वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध इन सभी बातों से है। यह नागरिकता के अधिकारों को पांच प्रकार से प्राप्त करन की व्यवस्था करता है। द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीयन द्वारा देशीय करण द्वारा अथवा किसी राज्य क्षेत्र के भारत में सम्मिलित हो जाने के परिणाम स्वरुप नागरिकता की प्राप्ति।

वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में उत्पन्न हुआ है, नागरिकता का प्राधिकार प्राप्त करता है चाहे उसका दिल भारत में उत्पन्न हुआ हो, अथवा न हुआ हो। एकमात्र भारत में जन्म लेने के कारण ही कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह एक 'कैथोलिक' उपबंध है और यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस देश में इसकी सेवा करने के लिये उत्पन्न हुआ अवसर देता है। इसमें हम ने केवल एक अपवाद रखा है, वह अपवाद हर स्थान पर है, और वह यह है कि राजनयिक सेवा में काम करने वाले उन व्यक्तियों को, जोकि साधारणतया इस देश के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं, ऐसे विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया है। यही बात हर देश पाई जाती है। यह उपबंध ब्रिटिश राष्ट्रीय अधिनियम के समान ही है।

उद्भव के द्वारा अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में, इस देश से बाहिर उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पिता भारत का नागरिक हो नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकेगा। यदि पिता ने ऐसा अधिकार उद्भव से प्राप्त किया हो, तो उस अवस्था में पिता को भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक नागरिक के रूप में पंजीबद्ध करा लेना चाहिये। उद्भव के द्वारा नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के सम्बंध में यह उपबंध रखा गया है।

तीसरे उपबंध का सम्बंध पंजीयन द्वारा अधिकार प्राप्त करने से है। अब भारतीय उद्-भव के व्यक्ति, जिनके जनकों अथवा महाजनकों में से कोई एक भारत का नागरिक था, य

[श्री जी० बी० पन्त]

विदेशों में रह रहे हों तो वे भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध किये जा सकेंगे। इसी प्रकार से वे व्यक्ति भी पंजीबद्ध किये जा सकेंगे, जो कि राष्ट्रमण्डल के उन देशों के रहने वाले हैं, जिन्होंने अन्योन्यता के सिद्धान्त को मान लिया है और भारतीय नागरिकों को अपने देश का नागरिक बनाना स्वीकार कर लिया है। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, वे भले ही राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध रखते हों, उनके नागरिकों को किसी भी अवस्था में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध नहीं किया जायगा। वे व्यक्ति जो कि नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हैं, उनकी पत्नियें भी, अथवा भारतीय उद्भव का कोई भी व्यक्ति, यदि वे भारत से बाहर विवाह करेंगे, तो वे भी नागरिक के रूप में पंजीबद्ध किये जा सकेंगे। इसमें मुख्य रुप से ये ही उपबंध हैं, और इस पंजीयन के ब्योरे के सम्बन्ध में और कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

देशीयकरण के सम्बन्धी शर्तें तृतीय अनुसूची में दी गयी हैं। वह व्यक्ति भारत में सात वर्ष तक रहा हो, और इनमें से कम से कम चार वर्ष तक भारत में लगातार रहा हो। उसकी भारत के प्रति निष्ठा हो। वह भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ले। उसे कुछ अन्य शर्तें भी पूर्ण करनी होंगी। वह संविधान में दी गयी १४ भाषाओं में से कम से कम एक भाषा से परिचित हो; इसके अतिरिक्त और भी कई छोटी छोटी शर्तें हैं।

जब कोई राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित होगा, तो उस समय वहां के निवासी स्वयंमेव भारत के नागरिक बन जायेंगे। मुझे आशा है कि गोआ के व्यक्ति शीघ्र ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ये ही मुख्य मुख्य उपबन्ध हैं।

यह नागरिकता त्यागी भी जा सकती है यदि किसी भारतीय उद्भव के व्यक्ति को दौहरी नागरिकता प्राप्त हो जाय, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक बन जाये अथवा बनना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। यह उपबंध श्री लंका तथा कुछ एक अन्य देशों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण ही रखा गया है। कुछ एक अवस्थाओं में नागरिकता समाप्त की जा सकती है : यदि कोई व्यक्ति जो एक नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हो अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रकार के विशेष अधिकार दिये गये हों, यदि कुछ आपत्तिजनक बातें करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता उस अवस्था में भी समाप्त की जा सकेगी, यदि उससे वह नागरिकता धोखे से प्राप्त कर ली गई हो, अथवा यदि किसी आपराधिक अभियोग में उसे एक वर्ष से अधिक समय के लिये कारावास का दण्ड दिया गया हो। यदि वह भारत सरकार के प्रति राज्यद्रोही सिद्ध हुआ अथवा यदि किसी और प्रकार से कुछ एक शर्तें पूरी करने में असफल रहा तो उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकेगी।

ये ही मुख्य मुख्य उपबंध हैं। इन के अतिरिक्त अन्य और भी खण्ड हैं, परन्तु उनका सम्बन्ध प्रक्रिया से है और इसलिये उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं। इस विधि को बनाते समय हमने बड़ी उदारता से काम लिया है। कुछ एक देशों में कोई भी व्यक्ति जो भले ही उस देश में उत्पन्न हुआ हो, यदि उसका पिता उस देश का नागरिक नहीं है, तो वह नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ एक अन्य देशों में दोहरी

नागरिकता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हमने एक ऐसी विधि बनाने का प्रयत्न किया है, जो कि देश की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए और भारतीय नागरिकता की प्रतिष्ठा को स्थिर रखते हुए, अन्य व्यक्तियों को पंजीयन तथा देशीयकरण के द्वारा नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगी—परन्तु पंजीयन तथा देशीयकरण का यह सारा कार्य राज्य की स्वीकृति से ही हो सकेगा।

एक और विशेष बात को ध्यान में रखना है। हमारे बहुत से व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गये थे, अथवा जिन्हें पस्किातान छोड़ना पड़ा था, वे सभी इस बीच भारत आ गये हैं। आगामी निर्वाचनों से पूर्व उन व्यक्तियों का पंजीयन करना है और यह आवश्यक है कि यह विधेयक पारित किया जाये ताकि वे इन सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

मैंने इस विधेयक के सभी उपबन्धों और संविधान में दी गयी एतत्सम्बन्धी सभी बातों को, जहां तक उनका सम्बन्ध नागरिकता से है, संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिये सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं। यह एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया जायेगा और ऊपरि सदन में इसके पारित होने के उपरान्त हम एक संयुक्त समिति में इस विधेयक पर विचार आरम्भ कर सकेंगे यह किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध रखने वाला कोई विधेयक नहीं है, यह एक ऐसा विधेयक है जो कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, और हमें इस पर इसी रूप में विचार करना है, और इसका निष्पक्ष और निरपेक्ष दृष्टिकोण से तथा इस दृढ़ निश्चय से परीक्षण करना है जहां तक हो सके इसमें सुधार किया जाये।

नाम ये हैं—श्री कोठा रघुरामैय्या, श्री पी० टी० थानू पिल्ले, श्री के० जी० वोडयार श्री के० टी० अच्युतन, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री निवारण चन्द्र लाश्कर . . . । यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस सूची का पुनरीक्षण करूं और यह देखूं कि ऐसा कोई व्यक्ति न रह जाये जिसे हम लाना चाहते हैं

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को अनौपचारिक रूप से रखूंगा और नामों की घोषणा बाद में करूंगा। माननीय मंत्री इस सूची का पुनरीक्षण करना चाहते हैं।

श्री कामत (होशंगाबाद) : नियमों के अनुसार यह नियमित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष की आज्ञा से सब कुछ हो सकता है। सामान्य चर्चा किसी के संयुक्त समिति में होने न होने पर निर्भर नहीं होती है।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : किन्तु उन्हें बोलने का अवसर यदि न मिले।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन लोगों को बोलने की आज्ञा दूंगा जब तक कि . . .

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यह उन लोगों के लिये ठीक नहीं होगा जो संयुक्त समिति में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर चर्चा किये जाने की आज्ञा नहीं देता हूं। किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होगा। यदि यह सोचा जाय कि संयुक्त समिति के सदस्यों को वादविवाद में भाग लेने की अनुमति देना ठीक है तो उन्हें आज्ञा दी जायेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्त करता हूं :

> "कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये"।

यह एक वैधानिक विधान है और चार वर्ष से दस के सम्बन्ध म तैयारियां की जा

[श्री वल्लाथरास]

रही हैं और अब इसे अग्रेतर विचार के लिये लाया गया है ।

जहां तक विधेयक के सामान्य पहलू का प्रश्न है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संसार के विभिन्न देशों में प्रचलित नागरिकता सम्बन्धी उपबन्धों की अपेक्षा इस में पर्याप्त सुधार किये गये हैं । यद्यपि नागरिकता सम्बन्धी बातें संविधान में हैं किन्तु नागरिकता की समाप्ति आदि जैसे मामलों के सम्बन्ध में बहुत सुधार किये जा सकते हैं । यह कार्य संसद् पर छोड़ा गया है । इस समय यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि आजकल लोग समाज के समाजवादी ढांचे को पसंद करते हैं । सामाजिक ढांचा क्या है ? सभी लोग प्रसन्न हों और जनता सुखी रहे यही सामान्य जनता की आकांक्षा है । इसलिये यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि जनता की प्रसन्नता हमारा ध्येय न हो तो लोगों को नागरिकता प्रदान करने से क्या लाभ है ? नागरिकता के प्रश्न को लोग कभी इसीलिये किसी उत्साह से नहीं देखते । यद्यपि यह विधेयक कुछ समय पूर्व प्रकाशित किया गया था और संविधान के उपबन्धों को स्पष्ट कर दिया गया था, परन्तु फिर भी जनता से किसी प्रकार भी अपने उत्साह को प्रकट नहीं किया है । पढ़े लिखे लोगों ने भी इस विषय में विशेष उत्साह नहीं दिखाया है । जैसा कि मैं ने कहा है, नागरिकता का प्रश्न एक बुनियादी प्रश्न है—इसलिये इस के महत्व को कभी कम नहीं किया जा सकता है । यद्यपि मैं भी इस पर कुछ कहने में स्वयं को समर्थ नहीं समझता हूं, फिर भी मुझे सभा के समक्ष इसके कछ पहलुओं को रखना है ।

गत एक सहस्र वर्ष के इतिहास से हमें यह ज्ञात होता है कि हम कई आरंभिक बातों को छोड़ कर एक ऐसे स्थान से बात आरंभ करें जहां से प्रगति हो सकती हो ।

हमें इंगलैंड तथा अमेरिका के इतिहास से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये । हमें अपने संविधान के निर्माताओं को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने इस बात को ठीक तरह से समझ कर हल किया । यह एक कठिन मामला है । पिछले समय में तो नागरिकता का विचार उत्पन्न ही नहीं होता था । उस समय तो यह कतिपयः सत्ता प्राप्त श्रेणियों का ही एकाधिकार था और उन्हीं का इस मामले में एकाधिपत्य था । ज्यों ज्यों व्यापार तथा वाणिज्य बढ़ता गया त्यों त्यों विश्व नागरिकता का प्रश्न हमारे सामने आता रहा है । इस सब के बाद नागरिकता के दृष्टिकोण का विकास इस प्रकार हुआ कि नागरिकता के तीनों तत्व, असैनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पृथक हो गये । असैनिक तत्व के अन्तर्गत व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि राजनैतिक तत्व के अन्तर्गत व्यक्तियों की समानता और सामाजिक तत्व के अन्दर बढ़िया जीवन स्तर की प्राप्ति आदि आते हैं । यह तत्व बीसवीं शताब्दी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गये हैं । पश्चिमी राजनीतिज्ञों ने १९५० में भी विश्व नागरिकता के सम्बन्ध में कोई पारस्परिक तत्व निर्धारित नहीं किये हैं । उसका कारण यह है कि उन लोगों के हृदयों में युद्ध आदि के विचार सदैव ही अधिपत्य जमाये रहते हैं । उन लोगों के सामने जनता का कल्याण कुछ कम महत्व की बात है । इस कारण से नागरिकता के दृष्टिकोण के निर्माण में पूंजीवादी वृत्ति ने घर कर लिया . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह नागरिकता विधेयक से किस प्रकार संगत है ?

श्री वल्लाथरास : निस्संदेह यह कहकर मैं बैठ सकता हूं कि नागरिकता विधेयक

उत्तम है और नागरिकता की परिभाषा ठीक ढंग से की गई है--किन्तु उसके इतिहास पर दृष्टि डाले बिना यह सब कैसे कहा जा सकता है । यदि नागरिकता का सम्बन्ध सामाजिक ढांचे से कुछ भी नहीं है तो इसका लाभ ही क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि जब तक समाज साम्यवादी ढंग का नहीं बन जाता तब तक इस समाज में नागरिक होने से कोई लाभ नहीं होगा ? मैं ऐसी बातों की आज्ञा नहीं दे सकता । कौन लोग संभवतया नागरिक हो सकते हैं, कब नागरिकता की समाप्ति होती है, क्या हम नागरिकता को जन्म से मानें, आदि विषयों पर यहां चर्चा की जानी चाहिये । विशेषकर माननीय सदस्य अपने संशोधन के लाभ बतायें कि विधेयक को परिचालित करने से सरकार को ऐसी कौन सी ऐसी जानकारी प्राप्त हो जायेगी जो अब तक उनके पास नहीं है और उससे क्या लाभ होंगे ? इन सब दूसरी बातों की आज्ञा, मैं नहीं दूंगा ।

श्री वल्लाथरास : मैं उसके सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । जो बातें आपने कही हैं, मेरे हृदय में वे थीं ही नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम नागरिकों के अधिकारों के प्रश्न में नहीं जा रहे हैं । हमें तो उस बात पर चर्चा करनी है कि कौन लोग नागरिक बनने की अर्हता रखते हैं और किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है । माननीय सदस्य एक वकील हैं और उन्हें ज्ञात है कि संगत तथा असंगत बातें कौन कौन सी होती हैं ।

श्री वल्लाथरास : मुझे सभा के समय के मूल्य का ज्ञान है । यदि यह समय को नष्ट करना ही होता तो मैं एक शब्द भी न कहता । श्रीमान्, मैं यहां के अन्य सदस्यों के समान अनुभवी नहीं हूं, इसलिये मुझे बोलने की थोड़ी स्वतंत्रता दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्तर्बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता । माननीय सदस्य अपना भाषण दें और जहां भी वह इधर उधर जायेंगे, उन्हें रोक लिया जायेगा ।

श्री वल्लाथरास : मैं यह कह रहा था कि पहली सरकार के समय में साधारण किसान और श्रमिकों को मत देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उस समय केवल पढ़े लिखा कर देने वाले लोग ही मतदान कर सकते थे । जनता की सरकार ही नहीं थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहां उत्पन्न हुए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला । भारतीय उद्भव के किसी भी व्यक्ति को यहां का नागरिक हो जाने में कोई बाधा नहीं थी । संविधान में अनुच्छेद ५-१० रखे गये और उन्हीं पर निदेशक तत्व तथा मूलभूत अधिकार आधारित हैं । इसलिये मैंने कहा था कि जनता में सुख की अभिवृद्धि करने के लिये सरकार का होना आवश्यक है । इसलिये नागरिकता का दृष्टिकोण भी इसी बात पर आधारित होना चाहिये । अतः यह एक अत्यन्त आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की आवश्यकताओं में हाथ बटा सके । प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिये उठ खड़े होने की अवस्था में हो । अब तक देश में निर्धनता का दौर दौरा है--केवल निर्धनता ही नहीं अपितु इसे बल्कि भूख और नग्नता का दौरा कह सकते हैं । कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता--अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसे कैसे इस गर्त से निकाला जाये ? जब लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तब उन का कोई उत्तरदायित्व भी होता है संविधान में यह उपबन्धित है कि बेरोजगारी को दूर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य आदि

[श्री वल्लाथरास]

पे सम्बन्धित बहुत से उपबन्ध हैं। एक कल्याणकारी राज्यमें इन सब बातों का उपबन्ध होता है।

यह कहना कि १९५५ मेंभारत के लोगों को नागरिक बना दिया गया है एक महान बात है, परन्तु इसके लिये कुछ और भी तो किया जाना है। वाणिज्य तथा व्यापार को फलाना होगा। आजकल प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ निकट सम्पर्क में आ रहा है, और शिक्षा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य आदि विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियां स्थापित हो गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि अब मैं माननीय सदस्य को रोके बिना नहीं रह सकता उन्होंने अपने संशोधन पर कुछ नहीं कहा है. अब मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा . . .

श्री वल्लाथरास : मैं प्रार्थना करता हूं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की आज्ञा नहीं देता—उन्होंने विषय से परे की बात की हैं और वे असंगत हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री कोठा रघुरामैरया, श्री पी. टी. थानू पल्ले, श्री के. जी. वोडयार, श्री के० टी० अच्युतन, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री निवारण चन्द्र लाश्कर, श्री सुरेंद्र मोहन घोष, श्री टी० संगण्णा, पण्डित कृष्ण चंद्र शर्मा, श्री रघुबीर दयाल मिश्रा, श्री लोटन राम, श्री राजेश्वर पटेल, श्री लीलाधर जोशी, श्री नरेन्द्र पी. नथवानी, श्री वीरा किशोर राय, श्रीमती अनुसूया ाई काले, श्री हरिविनायक पाटस्कर, श्री माणिक्य लाल शर्मा, सरदार रणजीत सिंह, डा० राम सुभग सिंह, श्री आनंद चन्द, श्री हीरेन्द्र नाथ मकर्जी, श्री मंगलगिरी नानादास, श्री सारंगधरदास, श्री हरिविष्णु कामत, श्री पी० एन० राजभोज, डा० लंका सुन्दरम, श्री रघुवीर सहाय, श्री उमाचरण पटनायक, तथा श्री बलवन्त नागेश दातार।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक नहीं।

पंडित जी० बी० पन्त : जी नहीं, वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समस्त प्रस्ताव रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वल्लाथरास : मैं केवल दो धाराओं के सम्बन्ध में ही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने विधेयक के लिये केवल दस घंटे का समय रखा है था और बहुत से सदस्यों ने इस पर बोलने की इच्छा भी प्रकट की है।

श्री वल्लाथरास : द्वैध नागरिकता का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण है—राष्ट्रमंडलीय देशों में यह प्रचलित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं द्वैध राष्ट्रीयता से यह लाभ हो सकता है कि एक नागरिकता को तो अपने देश के कल्याण तक सीमित रखा जाये तथा दूसरी को सारे देशों के कल्याणार्थ। इससे समाज के गठन पर हुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नागरिकता की समाप्ति विषय की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने के बजाये ये अधिकार न्यायालयों को दिये जाने चाहियें केवल तभी सर्वांगीण विकास होगा और प्रत्येक बात का तर्कानुसार पुनरीक्षण हो सकेगा।

दूसरी बात यह है कि लोग इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को इससे परिचित होना चाहिये। कुछक पढ़े लिखे व्यक्तियों का समर्थन ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रवर समिति इस मामले पर विचार करने में सक्षम है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

दूसरी ओर इस विधेयक को पारित करने में शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सभा के समक्ष चार वर्ष के पश्चात रखा गया है। जनता को सुधार सम्बन्धी सुझाव देने का अवसर दिया जाना चाहिये और उनको यह समझने का अवसर मिलना चाहिये कि इस देश की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। राज्य सरकारों से अपनी सम्मितियां देने को नहीं कहा गया है। क्योंकि यह कोई अत्यावश्यक मामला नहीं है इसलिये इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किया गया :

> "कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

अब मूल प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों पर चर्चा होगी।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : यह एक अत्यावश्यक विधेयक है। इस देश का नागरिक होना एक गर्व की बात है। अपने देश में उन्नति के अवसर प्राप्त करना और विदेशों में आदर का पात्र होना इस देश के प्रत्येक निवासी की आकांक्षा है। भतकाल में लोग सामन्तों से सुरक्षा चाहते थे परन्तु आज के संसार में हमने यह अनुभव किया है कि मानव स्वतंत्र है। राष्ट्र एक विशाल इकाई है, उसे उसमें सम्मिलित होने या उस से पृथक् हो जाने के अवसर प्राप्त होने चाहियें।

हम नागरिकता को रक्त के आधार पर नहीं अपितु अन्य विचारों पर आधारित करना चाहते हैं। हमारी नागरिकता जन्म के आधार से शासित है। अनुच्छेद ५ के अनुसार निवासी होना भी अभिप्रेत है। संविधान के अनुसार यहां जन्म लेना तथा यहां का निवासी होना अभिप्रेत है। परन्तु इस विधेयक में केवल जन्म का सिद्धान्त ही रखा गया है क्या इस सिद्धान्त का अनियंत्रित प्रवर्तन होने देना वांछनीय है? इस प्रश्न पर इंगलैंड में बहुत सावधानी से चर्चा की गई थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने यह निर्णय किया था कि जन्म का सिद्धान्त अवाध रूप से लागू हो प्रस्तुत विधेयक का आधार भी राष्ट्रमंडलीय देशों में प्रचलित यह विधि है। प्रवर समिति को यह देखना है कि यह जन्म का सिद्धान्त अवाध रहे या उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये हम यह स्वीकार करते हैं कि वंशानुकुल से कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद ५ (ख) में इसकी व्यवस्था है। कोई व्यक्ति पंजीयन के द्वारा नागरिक बन सकता है परन्तु माता की ओर से उसे वंशानुक्रम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरे विचार से दोनों लिंगों में यह विभेद नहीं किया जाना चाहिये। अनुच्छेद ५ (ख) बनाते समय यह विचार नहीं था।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह एक पीढ़ी के लिये हो या एक से अधिक पीढ़ी के लिये हो? इस प्रश्न का हम उत्तर दे चुके हैं तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह प्रक्रिया स्वयं गतिक हो या पंजीयन के द्वारा हो। इस का भी सभा में उत्तर दिया जा चुका है कि जहां तक पहली पीढ़ी का सम्बन्ध है यह कार्यवाही स्वतः ही होगी और दूसरी पीढ़ी के लिये पंजीयन आवश्यक होगा।

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विवाहित स्त्रियों की नागरिकता के सम्बन्ध में है। इस का निर्णय करने से पूर्व देशीयकरण सम्बन्धी उपबन्धों पर विचार करना आवश्यक है। देशीयकरण का आशय विदेशियों को इस देश की नागरिकता प्रदान करना है। हमने इस सम्बन्ध में बृटिश पद्धति तथा अधिकार का अनुकरण किया है। इस प्रश्न पर विचार करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है।

[श्री अशोक मेहता]

संयुक्त राज्य अमरीका में एक न्यायिक प्रक्रिया है ; यह न्यायालयों द्वारा की जाती है । बैलिजियम में यह विधानिक प्रक्रिया है और विधान सभा द्वारा की जाती है । माननीय प्रस्तावक महोदय ने हमें कार्यपालिका प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

विधेयक की धारा ६ देशीयकरण के सम्बन्ध में है और धारा ५ पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में है और धारा १४ सरकार को धारा ६ और ५ का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान करते है ।

पाकिस्तान में आज बहुत से व्यक्ति जन्म से भारतीय हैं और विदेशों में रहने वाले बहुत से व्यक्ति पंजीयन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह भी पंजीयन के द्वारा भारतीय नागरिक बन जाती है । इन सभी मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सर्वांगीण अधिकार दिये गये हैं । सरकार को किसी न्यायिक नियंत्रण के बिना यह शक्ति प्रदान करना उचित नहीं है कि उसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती ।

विवाहित स्त्रियों की राष्ट्रीयता के विवादग्रस्त प्रश्न के बारे में सरकार ने जो उपबन्ध रखा है, वह ठीक है और संतुलित है । प्रश्न यह है कि नागरिकता को परिवार पर आधारित किया जाये या व्यक्ति पर ? पत्नी का पति के अतिरिक्त और पृथक निवास-स्थान तब तक क्या हो सकता है, जब तक दोनों में पार्थक्य न हो जाये । परन्तु मेरा विचार है कि जब हम स्त्रियों को समानाधिकार दे र हैं, तो उन्हें यह भी अधिकार रहना चाहिये कि विदेशियों से विवाह करने के बाद या विदेशी स्त्रियों द्वारा भारतीय पुरुषों से विवाह कर लिये जाने के बाद वे अपनी अपनी नागरिकता रख सकें । भारतीय स्त्रियों से विवाह करने वाले विदेशी पुरुषों के लिये भी ऐसा ही कुछ उपबन्ध होना चाहिये । अन्य देशों में दोनों बातें प्रायः एक सी हैं, यद्यपि निवास की अर्हता वाला समय कुछ अधिक है । मैक्सिको और जापान में यह दो वर्ष है । भारत म भारतीय से विवाह करने वाली विदेशी स्त्री के लिये कुछ भी समय नहीं रखा गया है । परन्तु भारतीय स्त्री से विवाह करने वाला यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडलीय के देशों का नागरिक न हो, तो देशीय बनने के अधिकार को प्राप्त करने के लिये उसे ७–८ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी । इस प्रकार के मामले भी हो र हैं । हमें यह विचार करना है कि इन दोनों प्रकार के मामलों में कुछ अन्तर रखा जाये और यदि रखा जाये तो कितना ?

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न दोहरी नागरिकता का है । हेग अभिसमय, १९३० ने जिसका हस्ताक्षरक शायद भारत भी है, यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति दो नागरिकताओं वाला नहीं होना चाहिये । दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के सम्बन्ध में "मूल राष्ट्रीयता" के सिद्धान्त को अपनाया जाना चाहिये तथा जहां वह व्यक्ति रहता है या जहां से उसका निकटतर सम्बन्ध है, उस व्यक्ति को वहीं का नागरिक माना जाये । १९३० में हस्ताक्षरित एक पूर्व पत्र (प्रोटोकोल) में भी यह कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति जिस देश के प्रभावी नागरिक होंगे, उन्हीं देशों के प्रति उनके सेना सम्बन्धी दायित्व होंगे ।

माननीय प्रस्तावक को विदित होगा कि द्वैध नागरिकता ने गत दो विश्व युद्धों में कई समस्यायें खड़ी की थीं । मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इन सारी समस्याओं पर विचार करे । इससे अकारण ही कुछ खतरे और परेशानियां पैदा हो जाने की आशंका है

प्रस्तावक के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि इस समस्या पर कुछ भी विचार नहीं किया गया है।

अब हम नागरिकता से वंचित किये जाने के प्रश्न को लेते हैं नागरिकता अधिकार के त्याग और उसकी समाप्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु नागरिकता से वंचित किये जाने के बारे में खण्ड १०(२)(ख) में यह उपबंध रखा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण या क्रिया द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अनिष्ठा दिखाये, तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कोई उपबन्ध है। राष्ट्र मंडलीय देशों में सम्राट के बारे में ऐसी व्यवस्था है, सम्राट की सरकार के बारे में नहीं। मेरी समझ से तो एक बार देशीयकृत नागरिक बनने के बाद उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और वह सरकार के प्रति असन्तुष्ट हो सकता है। यदि पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति भारत आ कर इस प्रकार नागरिकता प्राप्त करें, और अपनी समस्याओं पर सरकार द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण प्रदर्शन करें, तो क्या आप उन्हें सरकार के प्रति असन्तुष्ट बता कर नागरिकता से वंचित कर देंगे? १० वर्ष के अनुभव वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट और दो सरकारी नाम निर्देशित व्यक्तियों की जो समिति इन मामलों का परीक्षण करेगी, उसकी अपील भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तक न की जा सकेगी। किसी प्रकार के न्यायिक अधीक्षण के बिना ही सरकार द्वारा यह किया जाना उचित नहीं है।

इसी प्रकार खंड १०(२)(घ) के अनुसार पंजीयन या देशीकरण के बाद पांच वर्ष में यदि उसे कम से कम बारह महीने कारावास का दंड मिले, तो भी वह नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आप विस्थापित व्यक्तियों के मामले को ही लें। उनमें से कई एक अधिकृत रूप से कई स्थानों पर धरना मार बैठते हैं। और इस प्रकार वे सरकार की दया पर हैं और वह जब चाहें उन्हें १२ महीनों से अधिक का दंड दे कर नागरिकता से वंचित कर सकती है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक भली या बुरी सरकार से कुछ सुरक्षायें प्रदान करता है। सरकार को यह अधिकार दे कर हम देशीयकृत और पंजीकृत भारतीय नागरिक को इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में भी किसी को नागरिकता से वंचित करने के पहले उसके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। हमें भी किसी को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के पहले उसके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिये और उसे उच्च न्यायालय या उच्चतमन्यायालय के पास तक जाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या खंड १०(३) नहीं कहता कि सरकार उस धारा के अधीन किसी को नागरिकता से वंचित न करेगी।

श्री अशोक मेहता : पर क्या इसे न्यायालय तक ले जाया जा सकेगा? यदि इस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सकता तो वह उपबन्ध व्यर्थ है।

राष्ट्र मंडलीय देशों में सर्वसामान्य नागरिकता का प्रश्न भी द्वितीय महायुद्ध के कुछ बाद उठाया गया था। यह कहा गया था कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक विदेशी न माने जायें। सभी देशों के इससे सम्बन्धित विधानों में सर्वसामान्य खंड रखने की बात थी। परन्तु पाकिस्तान के विधान में वैसा सर्व सामान्य खंड नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक दक्षिण अफ्रीका में नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता, पर राष्ट्र मंडलीय देशों में दक्षिण अफ्रीका का नाम आ जाने से

[श्री अशोक मेहता]

वहां का नागरिक भारत में एक वर्ष बाद पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

पंडित जी० बी० पन्त : क्या इसमें कुछ संदेह की गुंजाइश है कि दक्षिण अफ्रीका का नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता ? तीसरी अनुसूची के उपखंड (क) के अन्तर्गत वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता, उसमें कहा गया है कि — "वह किसी ऐसे देश वहां का नागरिक नहीं है, जिस देश की विधि या व्यवहार द्वारा भारतीय नागरिकों पर रोक लगाई जाती है।"

श्री अशोक मेहता : वह देशीयकरण के बारे में है।

पंडित जी० बी० पन्त : वह केवल देशीयकरण द्वारा ही नागरिक बन सकता है।

श्री अशोक मेहता : वह पंजीयन द्वारा भी नागरिक बन सकता है।

पंडित जी० बी० पन्त : विधि स्पष्ट है।

श्री अशोक मेहता : अनुसूची १ के अनुसार कोई दक्षिण अफ्रीका वासी पंजीयन द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, देशीयकरण द्वारा नहीं।

पंडित जी० बी० पन्त : इसके लिये विशेष देशों को मान्यता दी जायेगी। मैं इसे बाद में स्पष्ट कर दूंगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। यदि कुछ हो, तो मैं उसे दूर कर दूंगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण—पूर्व) : तृतीय अनुसूची दक्षिण अफ्रीका पर लागू नहीं होती है, अतएव राष्ट्रमंडलीय देशों की नागरिकता से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री अशोक मेहता : अनेक देशों में विधि तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक विदेशियों के स्वरूप को निश्चित न कर दिया जाये। उल्लिखित ब्रिटिश विधि "ब्रिटिश राष्ट्रीयता और विदेशियों का स्वरूप अधिनियम है।" कनाडा के विधान में भी इस बारे में एक अध्याय है। हमारे यहां विदेशियों का स्वरूप निश्चित करने वाला कोई विधान नहीं है। १९४६ का अधिनियम केवल उनके आने, ठहरने और जाने की बातों को ही लेता है। संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि निवासी विदेशी या मित्र विदेशी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और अभियोग चला सकते हैं या उन पर अभियोग चलाया जा सकता है। आशा है, संयुक्त समिति इन सब बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करेगी।

श्री सी० आर० नरसिंह (कृष्णगिरि) : हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है और उसके लिये एक कल्याण राज्य की स्थापना करता है। पर नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं और उनके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद १८(२) के अनुसार कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। एक व्याख्याकार के अनुसार इसका लक्ष्य यह है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा न रखने लगे और इस प्रकार स्वदेश के प्रति उसकी निष्ठा कम हो जाये। डा० अम्बेडकर ने कहा था कि संसद् इस बारे में विधि बना सकेगी कि इसके लिये क्या दंड दिया जाये। इस विधेयक में नागरिकता से वंचित करने के लिये जो अपराध रखे गये हैं, उन में एक यह भी जोड़ देना चाहता हूं। आज कल कुछ व्यक्ति ऐसे ह जो निराशा में राष्ट्रीय चिह्न आदि तक का तिरस्कार करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कुछ उपबन्ध होना चाहिये।

आजकल बाहर के देश इतनी उदारता से उपाधियां नहीं देते हैं परन्तु लोगों को प्रभावित करने के अन्य ढंग हैं, उदाहरणार्थ किसी विशेष प्रकार के आचरण के लिये पारितोषिक देना। एक देश विषय के लिये पारितोषिक देता है तो अन्य देश किसी अन्य विषय के लिये। कुछ समय पश्चात् देता है। अतः एक बार हम अपने आचरण की सराहना के लिये अन्य देशों की ओर देखते हैं तो इसमें हमेशा खतरा है। हमें कुछ मान अवश्य निर्धारित करने चाहियें और अपने देश के प्रति सच्चा रहना चाहिये। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि कभी कभी धन के पारितोषिक उपाधियों की अपेक्षा कहीं अधिक बुरे हो सकते हैं। अतः मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें और संयुक्त प्रवर समिति को उचित परामर्श दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूं और महसूस करती हूं कि नागरिकता के इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें दो सिद्धान्तों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। उन में से एक तो यह है कि इससे हमारी राष्ट्रीय समस्याओं और विदेशी सम्बन्धों का अभास अवश्य मिलना चाहिये दूसरी बात यह है कि उसमें कुछ उन विशेष परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये जो हमारे देश के समक्ष आई हैं या आने वाली हैं। उदाहरणार्थ हमें अपने देश की वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थितियों और इसके साथ ही साथ राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। निस्सन्देह दूसरे देशों द्वारा पारित नागरिकता सम्बन्धी विधियां महत्वपूर्ण हैं, परन्तु अपने नागरिकता विधेयक के बनाने में इन परिस्थितियों को अत्यावश्यक समझा जाना चाहिये।

ऐतिहासिक परिस्थितियों की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम विभाजन के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये लोगों को और अब भी जो आ रहे हैं उनको नागरिकता किस ढंग से देंगे। मेरा ख्याल है कि अब समय आ गया है कि हम उन लोगों को दिये गये अपने वचनों को फिर दोहरायें जिनका देश विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के समय हमने विचारा था कि यह प्रश्न एक बार सदैव के लिये सुलझ जायेगा परन्तु हमारा यह विचार मिथ्या सिद्ध हुआ। आज भी पूर्वी पाकिस्तान से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं चाहती हूं कि इस विधेयक के प्रस्तुत कर्ता माननीय मंत्री और संयुक्त प्रवर समिति के माननीय सदस्यगण दोनों ही इस प्रश्न पर विचार करें। इन विस्थापित लोगों के प्रति हमें विशेष भाव रखना चाहिये और मैं महसूस करती हूं कि वही विचार, जो संविधान बनाते समय २६ जनवरी १९५० से पहले पाकिस्तान से आये हुये लोगों को वास्तविक नागरिक बनाने में दिया गया था, इन लोगों के प्रति भी होना चाहिये। जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आयें हैं, उन्हें, पंजीयन को समूची प्रक्रिया का पालन कराये बिना ही, नागरिकता प्रदान करनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करेगी।

दूसरी बड़ी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि राष्ट्र मंडल के देशों की नागरिकता भी है इसका मैं दो कारणों से विरोध करती हूं। एक तो यह कि इसका पूर्व इतिहास क्या है? जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा था कि राष्ट्रमंडलीय नागरिकता का विचार अंग्रेजों के काल उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। हम पारस्परिक लाभ और पारस्परिक हित के सम्बन्ध चाहते हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार हमारी आर्थिक नीति का विकास हो रहा है इस दृष्टि से मेरी समझ में नहीं आता कि हम उस प्राचीन विचार को, जो अंग्रेजों ने यह मित्रराष्ट्रीय नागरिकता के सम्बन्ध में हमें दिया था, क्यों अपनायें ?

हम उपनिवेशवाद और साम्यवाद के विरोध में हैं। परन्तु यदि हम प्रथम अनुसूची पर दृष्टिपात करें तो इंगलिस्तान को समस्त उपनिवेशों के अर्थ में प्रयोग हुआ पाते हैं। मैं समझती हूं कि यह एक बुरा अवशेष है जिसे हमने यहां रखा हुआ है। हम मलाया, बरमूदा आदि उपनिवेशों को पृथक अस्तित्व नहीं देते। अपितु उन्हें इंगलिस्तान शब्द में सम्मिलित करते हैं। यदि इन में कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो क्या हम यह नहीं चाहते कि उन देशों को पारस्परिक लाभ व हित के आधार पर सम्मिलित कर सकें जो एशियाई देश हैं, जो हमारे बहुत पास हैं और जहां भारतीय अधिक संख्या में हैं ? अतः मेरा विचार है कि यह खंड इस रूप में नहीं रहना चाहिये। अपने पड़ौसी देशों से हमें घनिष्ठतम सम्बन्ध रखने चाहियें ! परन्तु प्रथम अनुसूची में बर्मा को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह राष्ट्र मंडल में नहीं है। मैं महसूस करती हूं कि पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ व हित पर आधारित घनिष्ठतम सम्बन्धों का विकास पहले अपने पड़ौसी देशों और फिर उन देशों के साथ, जहां हमारे नागरिक अधिक संख्या में हैं, हमें अवश्य करना चाहिये। हमें यह केवल राष्ट्रमंडल के देशों तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिये। इस खंड को हमें इस प्रकार अवश्य परिवर्तित करना चाहिये कि हमारे नागरिकता विधेयक से हमारे ठीक राजनैतिक विचार, उपनिवेशवाद के विरुद्ध बानडुंग में हमारे संकल्प, और सब के साथ हमारी मित्रता का जिसका आधार पारस्परिक लाभ और पारस्परिक हित हो, आभास हो।

अब मैं कुछ संभाव्यताओं का उल्लेख करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय यह बतायें कि निम्नलिखित निर्वाचन कहां तक ठीक हैं। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, १९४८ की धारा (१) की उपधारा (२) के अनुसार 'राष्ट्रमंडलीय नागरिक' और 'ब्रिटिश प्रजा' दोनों का एक ही अर्थ है। परन्तु हम देखते हैं कि भारत के गणराज्य बनने के पश्चात् भी इंगलिस्तान में एक अधिनियम है, भारत (आनुषंगिक उपबन्ध) अधिनियम, १९४९ है जिसमें कहा गया है कि भारत के गणराज्य बनने के पहले और गणराज्य बनने के दिन जो विधि विद्यमान थी, उसका उस समय तक, जब तक कि उसमें परिवर्तन कर सकने वाले प्राधिकार के द्वारा, और इस धारा की उपधारा (३) के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, भारत के बारे में वैसा प्रभाव रहेगा जैसा कि उस समय होता जब कि भारत गणराज्य न बना होता। हम इसका विरोध करते हैं। यदि यह अब भी इंगलैंड की संविहित पुस्त पर रहता है, तो हम अब भी "अंग्रेजी प्रजा" बने रहते हैं। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करें।

खंड ७ के बारे में मुझे यह कहना है कि यह खंड दुबारा बनाया जाना चाहिये। क्योंकि इसे पढ़ने से व्यक्ति में वही साम्राज्यवादी भावना उत्पन्न होती है जो ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, को पढ़ने से होती है। अर्थात् नई बस्तियां प्राप्त करने पर आदि। यहां मैं यह अवश्य कहूंगी कि गोआ और फ्रांसीसी बस्तियां भारत में अवश्य सम्मिलित होनी चाहियें, और उनका हस्तान्त-

रण होते ही वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता अवश्य प्राप्त होनी चाहिये। फिर मैं चाहती हूं कि इस खंड की भाषा ऐसी हो जो हमारी गणराज्य की भावना के अनुकूल हो, अर्थात् हम उपनिवेश-वाद के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकता से वंचित करना, कार्यपालिका की कार्यवाही के अधीन नहीं होना चाहिये। यह सर्वथा गलत है। इस विषय पर मैं श्री अशोक मेहता से सहमत हूं कि यह न्याय-योग्य मामला है कोई भी मूल अधिकार किसी काल-विशेष की सरकार के विचार से ही नहीं छीना जा सकता।

खंड १० के उपखंड (२)(घ) में कहा गया है कि यदि नागरिक पंजीयन के बाद पांच वर्ष के काल में किसी देश में १२ मास से अधिक जेल में रहा हो तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहती हूं। एक भारतीय नागरिक अपने कुछ सम्बन्धियों को मिलने पूर्वी पाकिस्तान गया और वहां की सरकार ने उसे बंदी बना लिया क्योंकि वहां वह एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। उसको वहां १२ मास से अधिक हो गये हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आप उसे नागरिकता से वंचित करने जा रहे हैं? इन बातों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है वरना हम उन अधिकारों का, जो हमने संविधान के मूल अधिकार वाले अध्याय में दिये हैं, तमाशा बनायेंगे। इसी प्रकार खंड १० का उपखंड (२)(ङ) भी अस्पष्ट है। मैं चाहती हूं कि इसका भी स्पष्टीकरण किया जाये।

अब खंड १४ में उल्लिखित प्रार्थना-पत्रों की अस्वीकृति पर आती हूं। इस खंड के अनुसार सरकार प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत करना या स्वीकृत कर सकती है और उन्हें ऐसी कार्यवाही का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा ख्याल है ऐसा उपबन्ध होना बहुत खतरनाक है। इस पर संयुक्त समिति को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अन्त में, सरकार को नियम बनाने का अधिकार देने का प्रश्न है। मेरा ख्याल है है जहां तक पंजीयन के फार्म का सम्बन्ध है वहां तक तो सरकार को अधिकार देना ठीक है परन्तु पंजीयन को रद्द करने के लिये, सरकार के दिये गये नियम बनाने के अधिकारों के अधीन उपबन्ध बनाये जाने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये। पंजीयन को रद्द करने के सम्बन्ध में इस विधेयक में एक भिन्न खंड होना चाहिये। फ़िर, स्त्रियों की नागरिकता के बारे में कहा गया है कि यदि किसी पति द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ देने से उसकी पत्नी की नागरिकता समाप्त नहीं होती। यदि ऐसा है तो मैं इसका स्वागत करती हूं क्योंकि यह एक ठीक बात है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्री एस० एस० मोरे : खंड २(ग) में नागरिकता और राष्ट्रीयता विधि की परिभाषा दी गई है। क्या इसका यह अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना निकालते ही, उस देश का अधिनियम विशेष, जिसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, स्वतः ही हमारी विधि का अंग बन जायेगा।

पंडित जी० बी० पन्त : यह हमारी विधि का अंग नहीं बनती।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इसी का स्पष्टीकरण कराना चाहता था। यह हम नागरिकता का दोहरा अर्थ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात् राष्ट्रीयता के आधार पर देश की नागरिकता, और भिन्न राष्ट्रीय प्रकार की नागरिकता, जिसका आधार कुछ देशों के बीच विद्यमान मित्रता व सद्भावना है। मेरा निवेदन यह है कि इन विभिन्न

[श्री एस० एस० मोरे]

देशों के अपने अपने अधिनियम हैं और उन्होंने कुछ लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया हुआ है। वे सारे लोग विभिन्न कारणों से, इस सरकार द्वारा अधिसूचना निकालते ही स्वतः ही नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं जैसा इस विधेयक के खंड ११ में कहा गया है। अतः हम इसे तुरन्त ही स्वीकार करते हैं। और भारत में राष्ट्रमंडलीय नागरिक के स्तर के क्या लाभ हैं? इसमें इसका वर्णन नहीं किया गया है। परंतु इस परिभाषा के अनुसार जैसा कि मैंने समझा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते ही, अनुसूची में सम्मिलित देशों द्वारा चाहे जो स्वीकृत किया गया हो, स्वतः ही राष्ट्रमंडलीय नागरिकता विधि का स्तर प्राप्त कर लेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल इस देश में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देने का अधिकार इस सभा को प्राप्त है बल्कि देश से बाहर रहने वालों को भी। इसी कारण मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इसके पश्चात् मैं राष्ट्रमंडल नागरिकता के लाभों की ओर आता हूं। यह खंड, ब्रिटिश नेशनैलिटी ऐक्ट (राष्ट्रीयता अधिनियम) का ही प्रतिरूप है। मेरे मित्र, श्री अशोक मेहता ने इसका स्वागत किया परन्तु मेरा विचार है कि इससे हमें हानि ही होगी। एक विकसित उद्योग वाला देश एक अविकसित उद्योग वाले देश से सम्बन्ध स्थापित करता है तो अविकसित देश को हानि उठानी ही पड़ती है। एक कच्चे माल को निर्यात करने वाले देश को निर्मित माल को निर्यात करने वाले देश की तुलना में हानि उठानी ही पड़ती है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री से इस नागरिकता के अधिकारों के लाभ जानना चाहता हूं।

पंडित जी० बी० पन्त : माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अब ओटावा सन्धि जैसी कोई सन्धि नहीं होगी।

श्री एस० एस० मोरे : यह ठीक है, परन्तु एक बार क्षति उठाने से आशंका बनी रहती है। मतदाता हो जाने से किसी व्यक्ति को उस देश में वैध कार्यों के करने का अधिकार हो जाता है, परन्तु राष्ट्रमंडल नागरिकता से क्या लाभ होंगे यह मैं जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल इस पर बोलें। सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि २६ जुलाई १९५५ को सभा में उपस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से यह सभा सहमत है।"

२८ नवम्बर, १९५४ को माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि जिस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया जाता है उसी दिन शलाका होती है तथा उस विशिष्ट शलाका के कारण प्राथमिकता ले ली जाती है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये ढाई घंटे का समय निश्चित है जिसमें केवल एक ही विधेयक पर विचार किया जा सकता है। और इसी कारण यदि आज एक विधेयक को प्राथमिकता रहती है तो दूसरे दिन दूसरे विधेयक को प्राथमिकता मिल जाती है। इसी कठिनाई से माननीय सदस्यों को भी अनिश्चितता रहती है कि किस दिन उनका विधेयक प्रस्तुत होगा और वह तैयारी नहीं कर पाते।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि एक शलाका सारे सत्र के लिये होनी चाहिये तथा विधेयकों पर उस प्राथमिकता के अनुसार विचार होना चाहिये। जिससे उनकी तैयारी बेकार न जाये। जब समिति ने इस पर विचार किया तो यह ठीक समझा गया कम से कम एक शलाका एक माह के लिये रखी जाये तथा सम्पूर्ण सत्र के लिये एक शलाका रखने के प्रश्न पर विचार करेंगें।

दूसरी सिफारिश एक से विधेयकों के सम्बन्ध में है। एक विधेयक के प्रस्तावित होने पर, उसी विषय के अन्य विधेयक समाप्त कर दिये जाते हैं। परन्तु सूची में उनका नाम बहुत देर तक रहता है। इस सम्बन्ध में समिति की यह राय है कि इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाय कि उस एक समान के विधेयकों को मूल रूप से प्रस्तुत कर्ता की अनुपस्थिति में वह प्रस्तुत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य सदस्य को दे सकता है। मैं आशा करता हूं कि समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहती हूं कि श्री आल्तेकर ने यह बताया था कि एक प्रकार के कई विधेयक एक समय में प्रस्तुत करना व्यर्थ सा है। परन्तु हमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक की पद्धति पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये। हमारा अनुभव है कि जब एक प्रकार के तीन, चार विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं तो सरकार यह आश्वासन दे देती है कि वह इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। परन्तु विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस प्रकार की परिस्थितियों में दूसरे विधेयक के प्रस्तुत करने से सरकार पर दबाव डाला जाता है। इसलिये ही हम चाहते हैं कि एक प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था अवश्य रहनी चाहिये।

दूसरे मान लीजिये दस माननीय सदस्य एक ही प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना देते हैं, जिन में सभी दलों के सदस्य हैं। एक दल अपना विधेयक वापस लेना अच्छा समझता है परन्तु दूसरा यह ठीक नहीं समझता है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वह विधेयक को दुबारा प्रस्तुत कर सकता है परन्तु इसके उत्तर में मैं यह बता देना चाहती हूं कि इस प्रकार उसे कुछ अवधि के लिये प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिये एक प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार अवश्य रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती माय देव (पूना दक्षिण) : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन का समर्थन इस कारण करती हूं क्यों कि मेरा विचार है कि एक ही प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने से विषय के महत्व का पता लग जाता है। इसीलिये अन्य सूचनाओं को समाप्त कर देना मेरे विचार से ठीक नहीं है।

श्री आल्तेकर : मैं महिला सदस्याओं को बता देना चाहता हूं कि एक बात का आन्दोलन करते रहने से सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता। सरकार जो भी आश्वासन देती है केवल विधेयक के महत्व को समझ कर देती है तथा इस कारण से कि आश्वासन नहीं देती है कि उसको कई सदस्यों ने प्रस्तुत किया है।

उदाहरण के तौर पर बाल-विधेयक को ले लीजिये। प्रथमतः श्रीमती मणिबेन पटेल ने उसको प्रस्तुत किया जिस पर सरकार ने

[श्री आल्तेकर]

आश्वासन दे दिया था परन्तु फिर भी उसी प्रकार के दो विधेयक श्रीमती उमा नेहरू तथा श्रीमती जयश्री ने प्रस्तुत करके सभा का समय नष्ट किया क्योंकि सरकार ने स्वयं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर दिया है जो कि इस समय राज्य सभा में है ।

इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि सभा का व्यर्थ समय नष्ट करना ठीक नहीं । सरकार महत्वपूर्ण विधेयक को अवश्य प्रस्तुत करेगी चाहे उसको किसी एक सदस्य ने ही प्रस्तुत किया हो या एक से अधिक ने । इसलिये मेरे विचार से यह सिद्धान्त बहुत अच्छा है । जैसे ही किसी विधेयक पर चर्चा समाप्त हुई तो माननीय सदस्य उसको दुबारा प्रस्तुत करने की सूचना दे सकते हैं इसलिये मेरा विचार है कि हमें इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये क्योंकि इस समिति के सदस्य सभा के विभिन्न दलों में से हैं तथा जिन्होंने इस विषय पर गम्भीरतया विचार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ३४० के अधीन मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस नियम के अधीन "अध्यक्ष स्वयं अथवा किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना की जाने पर, किसी भी समय सभा में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सभा को सम्बोधित कर सकेगा और इस प्रकार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार के विनिश्चिय के स्वरूप में नहीं समझा जायेगा ।"

मैं इस समिति का सभापति था इस कारण से मैं यह बताना चाहता हूं बल्कि सभा के विचार के लिये कुछ प्रश्न उपस्थित करता हूं । कुछ मामलों में आधा दर्जन सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये । इन विधेयकों को चालीस स्थानों पर लिखा जायेगा । इसके अतिरिक्त जिन अन्य सदस्यों ने इसे प्रस्तुत किया है उन के नाम में भी लिखा जायेगा ।

इस प्रश्न को ध्यान में रख कर कि कहीं इस परिवर्तन से व्यवस्था में कठिनाई न आ जाये, समिति ने यह सिफारिश भी की है कि इस प्रकार का उपबन्ध रखा जाना चाहिये कि यदि मुख्य सदस्य आने में असमर्थ हो तो दूसरे वाचन के समय वह यह अधिकार अन्य किसी सदस्य को दे सकता है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया कि यदि दूसरा सदस्य उसको वापस लेना चाहे । इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि वापस लेने के लिये विरुद्ध एक भी मत होगा तो उसे मत-विभाजन पर ही वापस लिया जा सकेगा अन्यथा नहीं । परन्तु यदि सारी सभा विरोध करेगी तो कुछ नहीं किया जा सकता है । वह वापस भी सभा की अनुमति से लिया जा सकता है ।

मैं कुछ उदाहरण देता हूं । बाल-विधेयक को श्रीमती मणिबेन पटेल ने प्रस्तुत किया तथा चर्चा स्थगित कर दी गई । इसी विधेयक को श्रीमती उमा नेहरू आदि ने भिन्न भिन्न समयों पर प्रस्तुत किया तथा सर्वदा चर्चा स्थगित कर दी गई । इसलिये यदि सरकार किसी विधेयक को नहीं चाहती तो उसका स्थगन होना निश्चित है । इन परिस्थितियों में यह परिवर्तन आवश्यक समझा गया कि यदि चालीस विधेयक एक ही प्रकार के होंगे तो वह अन्य विधेयकों के आड़े आयेंगे ।

अब माननीय सदस्य विचार करें कि यह संशोधन आवश्यक है अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन को मत दान के लिये रखा और वह अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं पूछना चाहती हूं कि एक ही प्रकार के विधेयकों का पुरः-स्थापन हो चुकने पर क्या बनेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : पूर्व सूचनायें समाप्त समझी जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि २६ जुलाई १९५५ को सभा में उपस्थित ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से यह सभा सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३ अगस्त १९५५ को सभा में उपस्थापित ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से यह सभा सहमत है ।"

इस प्रतिवेदन में केवल विधेयकों के वर्गीकरण तथा निश्चित समय का ही वर्णन है । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३ अगस्त १९५५ को सभा में उपस्थापित ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से यह सभा सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

धारा ४२९ का संशोधन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

(धारा १२ का संशोधन)

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल विवाह रोक अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री डाभी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० गोपालन ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : इसको प्रस्तुत करने का मुझे अधिकार दिया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव दूसरे के स्थान पर प्रस्तुत नहीं कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि माननीय सदस्य ने नियम को ग़लत समझा है । एक सदस्य कई विधेयकों को पुरः-स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जब उस विधेयक

[उपाध्यक्ष महोदय]

पर सभा में चर्चा होगी-तो एक ही प्रकार के प्रस्तुत किये गये विधेयकों की सूचना समाप्त हो जायेंगी। विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु किसी कारण वशविधेयक का प्रस्तुतकर्ता अनुपस्थित है तो अग्रेतर कार्य प्रारम्भ रखने का अधिकार वह अन्य किसी सदस्य को दे सकता है। वर्तमान नियम के अनुसार पुर:स्थापित करने की अनुमति लेने का अधिकार अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। केवल सरकारी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति एक मंत्री दूसरे के अनुपस्थित रहने पर भी ले सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

धारा ४३५ का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री रघुनाथ सिंह के दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ दक्षिण) : श्रीमान्, यह विधेयक बहुत छोटा होने पर भी ब़हुत महत्वपूर्ण है। धारा ४३५ में, जिसे इस विधेयक में संशोधित करने की चेष्टा की गई है, उच्च न्यायालयों तथा अपीलीय न्यायालयों को पुनर्विचार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब यदि आप इस धारा की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल करें तो आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य किसी निर्णय, आदेश या दण्ड के तथ्यपूर्ण, विधिपूर्वक होने अथवा औचित्य की जांच पड़ताल तक ही सीमित है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण बात है, तो भी कुछेक मामलों में आदेश की पालन की शक्ति को स्थगित कर देने से काफी हानि पहुंच सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक मामले में यह सवाल उठा था।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान कुछेक मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। कल्पना कीजिये कि कोई मिल दस वर्षों से नगरपालिका लाइसेंस के अन्तर्गत चल रही हो तथा कोई मैजिस्ट्रेट आदेश देता है कि जनता के लिये कष्ट का कारण होने से मिल बन्द कर दी जाये। अब २००० मज़दूरों से चलने वाले कारखाने के बन्द हो जाने से जो हानि मालिक तथा जनता को पहुंच सकती है, आप उसका अनुमान कीजिये। इसके विपरीत उच्च न्यायालय का निर्णय यह हो सकता है कि विशेष हालत में तथा नगरपालिका लाइसेंस के अन्तर्गत काम करने वाला वह कारखाना जनता के कष्ट का कारण नहीं है। अब यदि रोक आज्ञा के जारी करने का अधिकार पुनर्विचार न्यायालय को न दिया जाये तो मिल मालिक तथा जनता को बहुत हानि हो सकती है।

अब एक मामला आप धारा १३३ के अन्तर्गत लीजिये। यदि किसी पक्की इमारत से किसी सड़क पर रुकावट पड़ती है और एक मैजिस्ट्रेट यह आदेश देता है कि उस इमारत को हटा दिया जाये। मामला बाद में उच्च न्यायालय के पास जाता है और उसका निर्णय यह होता है कि मामले का सम्बन्ध दीवानी न्यायालय से होने के कारण मैजिस्ट्रेट को धारा १३३ के अन्तर्गत इस पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के अन्तिम निर्णय उस पक्ष विशेष के हित में हो सकता है। परन्तु इस बीच में इमारत गिरा दी जाती है तो विचार कीजिये कि सम्बन्धित पक्ष को कितनी हानि पहुंच सकती है।

मेरा सादर निवेदन है कि अभिलेख के मंगाने का उद्देश्य निष्कर्ष, दण्ड या आदेश के तथ्यपूर्ण होने, वैधानिकता तथा औचित्य की जांच पड़ताल का करना है। । अब यदि उसकी वैधानिकता पर आपत्ति है तो अन्तिम आदेश के जारी होने तक उस आदेश के पालन करने में कोई बुद्धिमता की बात नहीं है। इस बीच में अत्यधिक हानि हो सकती है। अन्य बातों को छोड़िये, केवल अवैधानिक होने से ही किसी आदेश का पालन उचित नहीं होगा ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद–उत्तर) : मेरे माननीय मित्र ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि सत्र न्यायाधीश का आदेश अन्तिम आदेश नहीं होता है । उसकी शक्ति तो उच्च न्यायालय तक अपील करने में ही सीमित है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक दण्ड देने का सवाल है, सत्र न्यायाधीश को ठीक ही ऐसी शक्ति दी गई है, परन्तु सम्पत्ति के मामले में सत्र न्यायाधीश के आदेश अन्तिम आदेश नहीं होते। अतएव ये शक्तियां उसे नहीं दी गई।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रारम्भ में ही यह स्वीकार करता हूं कि इस बारे में हम से चूक हो गई है। परन्तु यह चूक विधि में भी हुई है तथा जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर आपत्ति हो सके।

मेरी एकमात्र कठिनाई यह है कि क्या विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये या कि मामले को विधि आयुक्त पर छोड़ दिया जाये या कि हम कोई नया विधेयक पुरःस्थापित करें। ऐसे मामले में हमारी सामान्य नीति यह रही है कि दण्ड विधि के प्रशासन से अधिक सम्बन्ध राज्य सरकारों का होने से हम उनके परामर्श के बिना किसी ऐसे विधेयक को प्रस्तुत नहीं करते हैं जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने प्रस्तुत किया है। यदि मेरे माननीय मित्र यह आश्वासन मानने के लिये तैयार हों कि हम फौरन ही राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में पूछताछ करेंगे और उनकी स्वीकृति मिलने पर––जिस के मिलने में कोई सन्देह नहीं है––सरकार स्वयं एक विधेयक पुरः स्थापित करेगी तो सरकार ऐसा विधेयक सभा के सामने लाने को तैयार है यदि सभा यह समझे कि यह सादी सी बात है और इसे विधि आयोग के सामने रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर यह विचार प्रकट करूंगा कि यह जो भूल हुई है अनजाने में हुई है। कठिनाई का अनुभव होने की सम्भावना इसलिये है कि उसी उपबन्ध के प्रारम्भ में धारा ४३५ में "उपपत्तियां' सजायें या आदेश"––इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन में से "उपपत्तियां" शब्द लागू नहीं होता परन्तु "सजा, आदेश" लागू होते हैं। साधारणतया "सजा आदेश," ये दोनों शब्द दोबारा आने चाहिएं थे परन्तु केवल "सजा" शब्द आया है। इसलिए माननीय सदस्य ने संशोधन की जो इच्छा प्रकट की है उस से मैं सहमत हूं और यदि वे विधेयक को वापिस लेना स्वीकार कर लें तो हम फौरन ही राज्य सरकारों की राय मालूम करेंगे और स्वयं एक विधेयक रखेंगे।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह विधेयक १६५३ में पुरःस्थापित किया गया है। सरकार को इस का पता ही था तो उस ने राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में परामर्श क्यों नहीं लिया ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाव) : मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय गृह-कार्य उपमंत्री इस विधेयक से सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार स्वयं ऐसा विधेयक रखेगी। मेरा विचार है कि विधेयक को स्थगित रखा जाये। सरकार राज्य सरकारों की राय ले ले और फिर यदि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वह विधेयक पास कराना चाहे तो माननीय सदस्य का विधेयक ही पास होने दिया जाये क्योंकि उन्होंने ही यह भूल पकड़ी है। माननीय सदस्य मानें तो मैं यह सुझाव दूंगा कि विधेयक स्थगित रखा जाये। मुझे यह कहना है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को भी सरकारी विधेयकों की तरह ही माना जाय।

श्री दातार : मुझे अपने माननीय मित्र का सुझाव मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस विधेयक को अगले सत्र तक स्थगित रखा जाये ; इसी बीच हम राज्य सरकारों की राय जान लेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : मुझे यह बात स्वीकार है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर वाद-विवाद अगले सत्र तक स्थगित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : हम अभी कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकते। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर वाद विवाद स्थगित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

नई धारा २०क का रखा जाना

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मैं इस अधिनियम में निम्नलिखित नयी धारा रखना चाहता हूं :

"पंजीयक या उप-पंजीयक ऐसी किसी दस्तावेज का पंजीयन करने से इनकार कर देगा जिसमें पक्षों की जाति तथा धर्म का वर्णन हो और ये अधिकारी दस्तावजों का पंजीयन करते समय इन के सम्बन्ध में नहीं पूछेंगे।"

इस विधेयक के रखने का उद्देश्य यह है कि प्रस्तुत विधि के अधीन कठिनाइयां होती हैं। मैं ने स्वयं देखा है कि कई दस्तावेजों का पंजीयन करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया जाता है कि पंजीयन कराने वाला अपनी जाति या धर्म लिखवाने को तैयार नहीं होता। अब समय आ गया है कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे। जातिभेद के कारण कई कष्ट हम लोगों पर आये हैं। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी और अन्य सभी महापुरुषों ने जातिभेद का विरोध किया है। सरकार को जातिभेद समाप्त करने के लिए विधेयक लाना चाहिए। और यह सादा सा संशोधन तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए।

१९०८ के भारतीय पंजीयन अधिनियम में दस्तावेजों में जाति या धर्म के लिखे जाने का कोई उपबन्ध नहीं है परन्तु धारा २० में यह उपबन्ध है कि दस्तावेजों के पंजीयन से इनकार किया जा सकता है। धारा ३४(३) (ख) में यह उपबन्ध है कि जब तक पंजीयन अधिकारी को दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह सन्तोष न हो जाय कि वे वही व्यक्ति हैं तब तक वह उस का पंजीयन नहीं करेगा। धारा ८४(२) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्बन्ध में सारी जानकारी इस प्राधिकारी को देनी पड़ेगी और धारा ८६ में यह उपबन्ध है कि यदि यह अधिकारी सद्भावना से और अपनी सरकारी हैसियत में कोई कार्य करे तो उस पर कोई मुकद्दमा आदि नहीं चलाया जा सकता। आप न्यायालय में जायेंगे तो वह यह कह सकता है कि इस बात का पत्रका निश्चय करने के लिये

कि यह वही व्यक्ति है जिस ने दस्तावेज का निष्पादन किया है, मैं ने इसकी उप-जाति और धर्म पूछा है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले।

मेरा कहना यह है कि जातिभेद तो जन्म सिद्ध अधिकारों का झूठा सिद्धान्त है जिसे न्यायालयों ने भी अपना रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में दस्तावेजों के पंजीयन को ही क्यों चुना है ?

श्री एस० सी० सामन्त : इसलिए कि पंजीयक और उपपंजीयकों को दस्तावेजों में जाति आदि लिखवाने का बड़ा शौक है।

उपाध्यक्ष महोदय : जनगणना में भी जाति और उपजाति का एक स्तम्भ रहता है।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : उसका उद्देश्य तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या मालूम करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो अन्य जातियों का वर्णन क्यों किया जाय ? जहां आवश्यक हो, अनुसूचित जातियों का उल्लेख कर दिया जाया करे।

श्री एन० बी० चौधरी : बाद में यह प्रश्न उठ सकता है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : इस सम्बन्ध में एक और दृष्टिकोण है और वह यह है कि आवश्यक तो यह निश्चित करना है कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाला व्यक्ति वही है या नहीं। जब साक्ष्य से इस बात का निश्चय हो जाय तो दस्तावेज में जाति वर्णन न करने से वह अवैध कैसे हो जायेगी ?

यह विषय समवर्त्ती सूची में भी है। कुछ राज्यों की सरकारों ने आदेश जारी किये हैं कि दस्तावेजों में जाति और उपजाति का वर्णन न किया जाय।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : उत्तर प्रदेश में यह बात समाप्त हो गयी है।

श्री एस० सी० सामन्त : वहां पर सरकार ने यह आदेश दिया है कि दस्तावेजों का केवल इस आधार पर पंजीयन करने से इनकार न किया जाय कि उन में जाति या उपजाति का उल्लेख नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सारे देश में एकरूपता लाने के लिये माननीय मंत्री मेरे संशोधन पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या भारतीय पंजीयन अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अधीन किसी दस्तावेज के पक्षों के लिए यह आवश्यक हो कि अपनी जाति का उल्लेख करें ?

श्री पाटस्कर : इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति यह है कि पंजीयन अधिनियम की धारा ५८ में कहा गया है :

> "आज्ञप्ति या आदेश की प्रति या धारा ८९ के अधीन पंजीयन अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रतियों को छोड़ कर प्रत्येक दस्तावेज पर समय समय पर निम्न बातें पृष्ठांकित की जायेंगी :" इन बातें में एक यह भी है--
>
> "(क) दस्तावेज दाखिल कर वाले प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर और 'एडिशन' "

'एडिशन' शब्द की परिभाषा इस अधिनियम की धारा २ में किया गया है। उस में इस का अर्थ बताया गया है--उल्लिखित व्यक्ति का निवास स्थान और वृत्ति व्यवसाय दर्जा और उपाधि और भारतीय होने की दशा में उस की जाति और पिता का नाम।

इसलिए जब भी धारा ५८ के अधीन कोई दस्तावेज लायी जाये . .

उपाध्यक्ष महोदय : तो इस का संशोधन किया जाना है, यही न ?

श्री पाटस्कर : मैं यही कहने जा रहा था । 'एडिशन' को बदल दिया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : "और भारतीय होने की दशा में उस की जाति आदि" को हटाना पड़ेगा ।

श्री पाटस्कर: आजकल भी कोई व्यक्ति कहे कि "मेरी कोई जाति नहीं है" तो मेरे विचार में उस की दस्तावेज रद्द नहीं की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने निजी प्रयोजन के लिये चाहे उस की जाति हो ही उसे उस का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पाटस्कर : उस विषय पर विचार करना है और ऐसा किया जा सकता है ।

मैं इस समय तो उपबन्ध बताना चाहता था जिस से कि मुझे मालुम तो हो सके कि माननीय सदस्य को क्या कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का क्या रवैया है ?

श्री पाटस्कर : मेरा रवैया यह है कि मैं इस विधेयक के अभिप्राय से सहमत हूं परन्तु जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मेरे विचार में इस से यह प्रयोजन पूरा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि माननीय सदस्य इस धारा का संशोधन चाहते हैं और सभा उसे मान ले तो इसे छोड़ा जा सकता है ।

श्री पाटस्कर: उस में भी कठिनाई है । प्रस्थापित संशोधन का सार यह है कि जिस की दस्तावेज में जाति तथा धर्म का उल्लेख हो उसका पंजीयन करने से इनकार कर दिया जाय । यह तो अपने उद्देश्य से बाहर जाने वाली बात है ।

सरकार यह चाहती है कि विधेयक को इस रूप में स्वीकार करने की बजाय—ऐसा करना सम्भव नहीं इस से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा—वह भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा २ में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : या धारा ४, खण्ड (२) के बाद आप शब्द बदल दें ।

श्री पाटस्कर : जाति का उल्लेख हटा देने से भी एक कठिनाई बाकी रह जायेगी । विधेयक का रूप भिन्न हो जायगा । यह विषय समवर्त्ती सूची में है, इसलिए हम राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा केवल एक राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश की सरकार ने दस्तावेजों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी किया है जिस से मेरे माननीय मित्र की मंशा पूरी हो सकती है हम चाहते हैं कि राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में राय ले ली जाय और जहां तक परिभाषा में संशोधन का सम्बन्ध है जो कुछ भी कर सकते हों, किया जाय ।

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विधेयक पर विचार किये जाने पर जोर नहीं दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो एक कठिनाई दिखायी दे रही है । वह यह कि एक ओर तो परिभाषा में 'एडिशन' शब्द है दूसरी ओर कहा गया है कि भारतीय होने की दशा में जाति का उल्लेख किया जायेगा । यदि श्री सामन्त का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो उस का फल यह होगा कि यदि पंजीयक जाति का उल्लेख वाली दस्तावेज ले भी लेगा तो नौकरी से हटाया जायगा । इसलिए जब तक खण्ड दो में संशोधन न हो इस विधेयक को पास करने का कोई मतलब नहीं है ।

श्री एस० सी०सामन्त : माननीय मंत्री यह संशोधन करना भी स्वीकार कर लेते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती परन्तु चूंकि वे इस

सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहते हैं, मुझे माननीय मंत्री से यह जान कर खुशी होगी कि यह कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी तब मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री पाटस्कर : मैं इस स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सदस्यों को मालूम होगा कि यह प्रश्न किसी अन्य रूप में अन्य अधिनियमों के सम्बन्ध में भी उठाया जा सकता है। इस सभा द्वारा एक संकल्प पारित किये जाने पर एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसे दिवाकर समिति कहा जाता था। यह समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गयी थी कि सरकार को जो दस्तावेज या प्रपत्र रखने होते हैं उन में जाति का उल्लेख कहां तक नहीं किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि इस समिति ने १९४९ में अपना प्रतिवेदन दिया। तब अचानक इस बात का ध्यान आया कि दस्तावेजों आदि में जाति का उल्लेख न करना इतना आसान नहीं क्योंकि संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिछड़ी जातियों को कुछ विशेषाधिकार दिये गए हैं। जैसा कि सभा को मालूम है, जब हम परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे थे तो यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था। कठिनाई इस प्रकार उत्पन्न हुई थी कि जनगणना के समय सरकार ने यह आदेश दिया था कि जाति का उल्लेख न किया जाये और इस का फल यह हुआ था कि विशेष जातियों के लिए सुरक्षित स्थान रखते समय जातियों की गणना आदि के कोई आंकड़े ही नहीं थे। ये भी शिकायतें मिलीं थीं कि आंकड़े गलत हैं। तब हमें मालूम हुआ कि यह स्थिति इतनी सीधी सादी नहीं है। ऐसी आज्ञा दे देना कठिन है कि किसी दस्तावेज में या कहीं और जाति का उल्लेख ही न किया जाय। दिवाकर समिति का प्रतिवेदन अब निलम्बित पड़ा हुआ है। अब मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियोंको हिदायतें दी हैं कि--इस अधिनियम के सम्बन्ध में नहीं बल्कि उन के सामने आने वाले सभी दस्तावेजों के सम्बन्ध में--जहां मतदान आदि के लिए जाति का उल्लेख आवश्यक हो उन मामलों को छोड़ कर, बाकी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख न किया जाये। इस प्रकार जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है यह समस्या हल हो गई है।

अन्य राज्य सरकारों से भी, विशेषकर, बिहार सरकार से, पत्र व्यवहार किया गया था किन्तु अन्ततोगत्वा कुछ भी हुआ मालूम नहीं जान पड़ता है।

जब यह विधेयक रखा गया तो मैंने इस सम्बन्ध में जांच की और मुझे पता लगा कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, स्थिति विचारार्थ निलम्बित है, तब से दिवाकर समिति का प्रतिवेदन अभी भी विचारार्थ निलम्बित है। इसी बीच मुझे पता लगा कि जो संशोधन का अब प्रस्ताव रखा गया है उसका उद्देश्य अत्यन्त प्रशंसनीय है, किन्तु स्वाभाविकता जैसा कि सभापति ने ठीक ही कहा है, यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो जो पहले से ही अधिनियम में व्यवस्था की गई है उससे असंगत हो जायेगा। अतः एक ओर हम पंजीयक से जाति लिखने के लिये कहेंगे और दूसरी ओर ऐसा करने से मना करेंगे।

इस संशोधन को न्यायोचित बताने के लिये एक आवश्यक बात यह कही जा सकती है, जो यह है। मैं ने देखा है कि गांवों में कुछ राज्य सरकारों ने दस्तावेजों में जाति का उल्लेख न करने पर जोर दिया है, जाति भेद-भाव को बढ़ाने की दृष्टि से नहीं वरन्, एक ही नाम के व्यक्तियों में पहचान करने के लिये ऐसा किया गया है। गांवों में एक ही नाम जैसे तुकाराम एकनाथ, नाम के दो व्यक्ति कई बार होते हैं। अतः एक ही नाम के व्यक्तियों में पहचान करने के लिये जाति का उल्लेख करना लाभदायक होगा। कभी कभी एक ही नाम वाले दो व्यक्तियों

[श्री पाटस्कर]

की आयु भी एक ही हो सकती है, इसलिये ऐसी दशा में भी जाति का उल्लेख किया जाना लाभदायक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी कभी पिता का नाम भी तुकाराम एकनाथ होता है ।

श्री पाटस्कर : किन्तु बाबा का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है । इस कारण मैं विधेयक के उद्देश्य से पूर्णतः सहमत हूं और चाहता हूं कि जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे परोक्ष रूप से भेद-भाव बढ़ता है कि यह व्यक्ति इस जाति का है और वह व्यक्ति उस जाति का । जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, हमें पूर्ण सहानुभूति है किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक को आगे बढ़ाने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध न होगा । चूंकि यह विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा रखा गया है इसलिये स्वीकार करने में कोई आपत्ति हो ऐसी बात नहीं है, किन्तु मैं यह देखता हूं कि यह विद्यमान उपबन्धों से संगत नहीं है । मैं उन्हें आश्वासन देकर यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हम राज्य सरकारों से परामर्श लेंगे और उचित समय में, पंजीयन अधिनियम में यथासम्भव संशोधन करेंगे । मैं यह नहीं बता सकता कि यह कार्य इतने समय में हो जायेगा । राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् इस विषय को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा जायेगा । मुझे निश्चय है कि सरकार इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आवश्यकतानुसार कार्य करेगी ।

श्री बी० के० दास (कंटाई) : माननीय मंत्री ने कहा है कि जाति को बिल्कुल हटाने में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां मार्ग में आ जाती हैं । उनका कहना ठीक है किन्तु कुछ मामलों में जैसा कि यह मामला है, जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं क्या सरकार ने अब तक दिवाकर समिति की किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित किया है ?

श्री पाटस्कर : मैं समझता हूं कि मैं यह बात स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि दिवाकर समिति का प्रतिवेदन एक सामान्य प्रतिवेदन था जो, सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों में लागू होता था । सरकार को पता लगा कि जनगणना में जाति का उल्लेख न होने से उसे कष्ट उठाना पड़ा । इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और सरकार अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि सिफारिश के कितने अंश को कार्यान्वित किया जाये । हम इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, इस विषय में कोई सन्देह नहीं । जाति को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता । मैं समझता हूं कि विधि आयोग, जिसकी नियुक्ति की घोषणा आज की गई है, इस सम्बन्ध में जांच करेगा । इन सारी चीजों पर विस्तृत रूप से विचार होगा ।

अब भी, खण्ड २ की भाषा कुछ ऐसी है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति बतानें से इन्कार कर सकता है । मैं ने कुछ प्रमुख लोगों को ऐसा करते देखा है । उदाहरणार्थ, स्वर्गीय जस्टिस मादगांवकर से जब उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने उसे बताने से इन्कार करते हुये कहा– "मैं न तो जाति में विश्वास ही करता हूं और न मेरी कोई जाति ही है ।" यदि ऐसी भावना हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति बताने से इन्कार कर सकता है और उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वह अपनी जाति बताये ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्पूर्ण आदर के साथ मैं कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताता है, तो पंजीयक यदि आवश्यक समझे तो उसे उसका दस्तावेज पंजीयन करने से इन्कार कर देगा ।

श्री पाटस्कर : यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसकी कोई जाति नहीं, तो भी दस्तावेज तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो किसी सीमित प्रयोजन के लिये है और इससे संवैधानिक पहलुओं या अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता ।

श्री पाटस्कर : राज्य सरकारें, जैसा उचित समझें, विधान बना सकती हैं ।

श्री डाभी (कैरा-उत्तर) : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् कोई ऐसा संशोधन रखेगी कि जाति अथवा उप जाति नहीं लिखी जानी चाहिये ?

श्री पाटस्कर : केवल प्रयोजन सिद्ध होना चाहिये, चाहे केन्द्रीय सरकार करे अथवा राज्य सरकारें, इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): किन किन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में इसे लागू किया है ?

श्री पाटस्कर : जहां तक मुझे ज्ञात है, केवल एक राज्य में यह चीज लागू की गई ?

श्री एस० सी० सामन्त :सरकार की ओर से माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेकानाल–पश्चिम कटक) : सरकार वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करना चाहती है । इस शासनकाल में वर्ग तो समाप्त हो नहीं सकता किन्तु इस संविधान को बने पांच वर्ष हो गये किन्तु जाति प्रथा को दूर करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया । क्या यह विषय विधि आयोग के विचारार्थ आयेगा या इस पर विचार पहले भी हो सकता है ?

श्री पाटस्कर : जहां तक वर्तमान विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, हमें विधि आयोग के सामने नहीं रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कह चुके हैं कि इस पर राज्य सरकारों से परामर्श लिया जायेगा । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसे विधेयक के सीमित प्रयोजन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । भारतीय पंजीयन (संशोधन) अधिनियम के विधि आयोग को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि सभा सहमत हो तो विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : हां

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मुझे श्री ए० के० गोपालन के इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी अन्य सदस्य को अपना विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दे किन्तु इसके लिये शर्त केवल यह है कि विधेयक के आगे के सारे प्रक्रम भी पुर-स्थापित करने वाले सदस्य को सौंप दिये जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ३क का रखा जाना)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक तो भी ई० के० गोपालन के नाम में है ।

श्रीमती रेणु चक्रवती : मैं पहले ही अनुमति प्राप्त कर चुकी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

(धारा २ और ४ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खेद है कि मैं आज यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रस्ताव रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । यदि उन्होंने विचार के लिये प्रस्ताव रख दिया हो, तो वह वापस लेने की अनुमति ले सकते हैं । उन्होंने सूचना तो दी है, किन्तु प्रस्ताव रखा नहीं है जो उनके अनुपस्थित हो के समान ही है ।

बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक

(धारा १७ का संशोधन)

श्री रघुनाथ सिंह (बनारस जिला-मध्य): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

काशी विश्वविद्यालय के इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चहता हूं कि कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि उन के पास जो सुझाव भेजे जायें उनको वह अस्वीकार कर सकते हैं, उस पर नकारात्मक प्रस्ताव पास कर सकते हैं, लेकिन उनको स्वीकार करने का अधिकार नहीं है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इस वास्ते संक्षेप में मेरा संशोधन यह है कि कोर्ट को यह अधिकार भी देना चाहिये कि जब वह किसी विषय या किसी बात को नहीं चाहते हुए उसको अस्वीकार कर सकते हैं तो अगर वह किसी बात को चाहते हैं तो उस को स्वीकार भी कर सकें । काशी विश्वविद्यालय की फंग्शनिंग में यह देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, उन के सामने प्रस्ताव आते हैं, लेकिन वह उन प्रस्तावों को अस्वीकार तो कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सिद्धान्त को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बात को सोचते हुए भी कि यह सिद्धान्त बहुत अच्छा है, हिन्दू युनिवर्सिटी का इससे फायदा होगा, उनको उस को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः कोर्ट को स्वीकार करने का भी और अस्वीकार कर ने का भी, दोनों का अधिकार होना चाहिये आप से यह प्रार्थना करता हूं कि हिन्दू युनि-

वर्सिटी विधेयक में जो छोटा सा संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप स्वीकार करेंगे। और इसलिये स्वीकार करें कि कोर्ट का जो डे-टू-डे फंक्शनिंग है उस में इससे बहुत सहूलियत हो जायेगी। आजकल होता यह है कि कोई चीज जब कोर्ट के सामने आती है और कोर्ट समझती है कि यह एक अच्छी चीज है लेकिन वह उस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकती है। यह चीज फिर सिंडिकेट के पास जाती है और सिंडिकेट को राइट है, चाहे वह उसको स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। इस तरह से एक चीज दो दो और तीन तीन साल तक पेश रहती है और उसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पाता। इस वास्ते मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जो कि एक बहुत ही छोटा सा बिल है, स्वीकार कर लिया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९१५, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक दिन प्रति दिन के कार्य का सम्बन्ध है, बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थिति कुछ असंगत सी है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति कोर्ट का सदस्य हो सकता है जो एक निर्धारित राशि अंशदान के रूप में दे। इन परिस्थितियों में कितने ही नरेश इसके सदस्य हो गये। अब समय बदल गया है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुराने विधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत संशोधक विधेयक के अतिरिक्त एक व्यापक संशोधक विधेयक की भी आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक व्यापक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित कार्य-वाही करे ताकि इस विश्वविद्यालय का कार्य संचालन समाज के वतमान तथा भावी ढांचे के अनुसार हो।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मेरे मित्र श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक क्षेत्र में सीमित होते हुए भी एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाता है। समस्या यह है कि इस समय जो विश्व-विद्यालय कायम हैं उनमें से अधिकांश उन संविधियों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जो वर्तमान काल के अनुकूल नहीं हैं। कुछ विश्व-विद्यालय तो अपने आय को परिवर्तित समय के अनुसार ढाल रहे हैं, परन्तु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अब भी अत्यधिक पुरानी विधि के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में दो प्रमुख निकाय होते हैं--सेनेट तथा सिंडिकेट जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् तथा कोर्ट भी कहते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के विषय में तो मैं यह कह सकता हूं कि वहां सेनेट ही उत्तम निकाय है ; सिंडिकेट नहीं। परन्तु बनारस विश्व-विद्यालय में सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद् को उच्चतम माना गया है। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह का अभि-प्राय इसी दोष को दूर करना है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं।

कुछ लोग कह सकते हैं कि सिंडिकेट और सेनेट किसी व्यक्ति के दो हाथ के समान है ; परन्तु मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय के सुचारू कार्य संचालन में बाधक होती है। सिंडिकेट तो केवल प्रशासनिक कार्यों के लिये होता है; उसे अन्य कार्य नहीं करने चाहियें। सम्पूर्ण विश्वविद्यालय का नियंत्रण तो कोर्ट के हाथ में होता है। यदि हम कोर्ट को एक ऐसा निकाय बना देंगे कि व्यावहारिक रूप से उसका कोई

[श्री डी० सी० शर्मा]

कार्य ही न हो, तब तो इससे कोई लाभ ही नहीं होगा। उस दशा में कोर्ट का कार्य केवल यह रह जायेगा कि वह कार्यकारिणी परिषद के विनिश्चयों पर अपनी मुहर लगा दे।

विभाजन के पूर्व मैं बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय की कोर्ट का सदस्य था। मुझे उस विद्यालय की कोर्ट में इस सदन का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भी मिला है। मैं ने कोर्ट की कुछ बैठकों में भाग लिया है। मैं ने वहां देखा कि कभी कभी बड़े लाभदायक सुझाव प्रस्तुत किये गये। उन सुझावों पर काफी वाद विवाद भी हुआ और कोर्ट के प्रत्येक सदस्य ने सैद्धांतिक रूप से उनका अनुमोदन भी किया। परन्तु कोर्ट यह न कह सकी कि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाये। अतः मेरा कहना यह है कि कोर्ट को सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न माना जाये। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक कोर्ट अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेगी। कार्यकारिणी परिषद् का क्षेत्र तो सीमित होता है, परन्तु कोर्ट के उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। अतः कोर्ट को यह शक्ति होनी चाहिये कि वह, यदि चाहे तो, कार्य-कारिणी परिषद् की प्रस्थापनाओं को न स्वीकार करे। इसके अलावा मुझे यह ज्ञात कर के बड़ा अचम्भा हुआ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट की शक्तियां नकारात्मक हैं। नकारात्मक शक्ति का अर्थ यह है कि वह केवल यह निदेश दे सकती है कि अमुक चीज न की जाये। किसी भी अन्य विश्वविद्यालय कोर्ट की शक्तियां नकारात्मक नहीं हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट में तो देश के सभी व्यवसाय के लोगों का प्रतिनिधित्व है। ऐसी दशा में यह उचित न होगा कि उसे इस शक्ति से वंचित रखा जाये। उसे केवल प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों को निबटाने की शक्ति देने का अर्थ तो यह हुआ कि उसका समुचित मान नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के हित में यह वांछनीय है कि कोर्ट को यह शक्ति दी जाये।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाये। इसका प्रभाव केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर ही नहीं, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी पड़ेगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मेरे मित्र रघुनाथ सिंह बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ऐक्ट १९१५ की दफा १७ में अमेंडमेंट करने के लिये यह बिल लाये हैं। हमें यह देखना है कि दफा १७ जो इस ऐक्ट की है उस में कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें दिया हुआ है :

"इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निम्नलिखित सभी अथवा किस एक विषय के लिए उपबंध कर सकता है।"

इसके बाद दिया हुआ है।

"कोर्ट कार्यकारिणी परिषद्, विद्या परिषद्, विद्या परिषद् की स्थायी समिति वित्त समिति और ऐसे अन्य निकायों का, जो समय समय पर बनाये जाने आवश्यक हों, गठन शक्तियां तथा कर्तव्य।"

उसके बाद दिया है :

"उक्त निकायों के सदस्यों का पदों पर रहना और उनका निर्वाचन तथा और किसी . . . . का पदासीन रहना और सदस्यों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करना और ऐसे निकायों से सम्बन्धित अन्य ऐसे विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाए।"

इसी तरह की चीजें ए से ले कर एफ तक दफा १७ में दी गई हैं जिन को आप बदलना चाहते हैं।

अब आप देखें कि हिन्दू यूनिवर्सिटी का जो रिजिस्ट्रेशन हुआ वह किस तरह से हुआ। रिजिस्ट्रशन में जो दिया गया है वह इस प्रकार है :—

"क्योंकि बनारस में एक शिक्षात्मक तथा छात्रावास युक्त हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करना और संस्था पंजीयन अधिनियम १८६० के अधीन पंजीयत हिन्दू विश्वविद्यालय संस्था को बन्द करना और उक्त संस्था की सारी सम्पत्ति और अधिकार विश्व विद्यालय को हस्तान्तरित करना और सौंपना इष्टकर है अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।"

उसके बाद इसका जो नाम हुआ वह था "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९१५।" मैं आप से अर्ज करूं कि जो हमारा विधान है उसमें यह बिल सातवीं अनुसूची की सूची ३ में पूर्तधार्मिक धर्मस्व में आता है। और वहां पर यह कानकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है।

यह विषय हमारे कांस्टीट्यूशन से शिडयूल ७ के आइटम नम्बर ६३ पर इस प्रकार दिया हुआ है :

संविधान के प्रारम्भ के समय जिन संस्थाओं का नाम बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय था....

और हमारे संविधान की अनुच्छेद २४६ के अनुसार इस विषय पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। मेरे कहने की गरज यह है कि जो बिल मेरे मित्र लाये हैं वह बहुत अच्छा है। लेकिन हमें यह देखना है कि इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या राय है। हमें देखना चाहिए क्या इसको बदलने के लिए यू. पी. गवर्नमेंट भी तैयार है। हमें इस बिल पर कोई ऐतराज नहीं है, न हमारी सरकार को ऐतराज होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में यह विषय कानकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है और इसलिए इसमें य. पी. गवर्नमेंट की भी सलाह लेनी है। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आनरेबिल मिनिस्टर प्रकाश डाल दें कि यह बिल इस हाउस में यू. पी. सरकार की राय बिना जाने हुए आयेगा या नहीं।

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य स्वयं कह चुके हैं कि यह समवर्ती सूची में है, यदि ऐसा है तो यह विधेयक यहां क्यों नहीं रखा जा सकता ?

सरदार ए० एस० सहगल : किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार को भी अधिकार है, जिससे परामर्श लेना आवश्यक है.....

सभापति महोदय : समवर्ती सूची वाले विधेयकों के यहां रखे जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : यह संघ सूची में है।

सरदार ए० एस० सहगल : जहां तक हिन्दू विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अधिकार प्राप्त है..

सभापति महोदय : यदि यह संघ सूची में है, तो राज्य विधान सभा का इस विषय पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। हां, यदि समवर्ती सूची में है तो, इस प्रकार का विधान बनाना इस सभा के क्षेत्राधिकार में है।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यदि यह विधेयक जो मेरे माननीय मित्र, श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृत हो गया तो वर्तमान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम की पूरी प्रणाली ही उलट जायेगी।

[डा० एम० एम० दास]

मेरे मित्र श्री शर्मा का कथन है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अब भी बड़ी पुरानी विधि के अधीन चल रही है। मैं प्रो० शर्मा के सूचनार्थ निवेदन करता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने एक आयोग, जिसका नाम राधाकृष्णन आयोग पड़ा, की नियुक्ति की जिसने १९४९ मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने उक्त आयोग के प्रतिवेदन से पूर्णतः सहमत होकर १९५१ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक रखा। वर्तमान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम १९५१ में संसद् द्वारा संशोधित अधिनियम है। अतः मुझे प्रोफेसर डी० सी० शर्मा की इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अब भी पुरानी विधि के अधीन कार्य कर रहा है।

श्री डी० सी० शर्मा : मूल अधिनियम की कितनी धाराओं में इस विधेयक द्वारा संशोधन किया गया था?

सभापति महोदय : इस समय न तो प्रश्न का घंटा है और न ही उन्हें इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिये!

डा० एम० एम० दास : प्रोफेसर शर्मा का यह भी कहना सर्वथा गलत और आधार रहित है कि इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद को सर्वोच्च निकाय बना दिया गया है। उन्होंने इस बात पर आग्रह किया कि विश्वविद्यालय कोर्ट को सर्वोच्च निकाय बनाना चाहिये। मैं उनका ध्यान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ९ की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकार रखने वाला निकाय होगी।

अतः जहां तक विश्वविद्यालय के कार्यों का सम्बन्ध है, कोर्ट उच्चतम निकाय है ही। इस कारण उसे उच्चतम निकाय बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि कोर्ट को कोई भी संविधि पारित करने के लिये पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिये। जैसे कि उपबन्ध है, कोर्ट को अधिकार तो है किन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसा प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद् के द्वारा रखा जाना चाहिये जो विश्व-विद्यालय की कार्यकारिणी निकाय है।

मेरे मित्र यह चाहते हैं कि कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद को सूचित किये बिना अथवा उसकी सहमति लिये बिना किसी भी संविधि को पारित करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिये। विद्यमान प्रक्रिया यह है कि यदि कोर्ट का कोई सदस्य कोई नवीन संविधि जारी करने अथवा विद्यमान संविधि में संशोधन के लिये प्रस्ताव रखता है, तो कोर्ट सदस्य के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है अथवा उस प्रस्ताव का निर्देश कार्यकारिणी परिषद को कर सकता है। सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार न करके उसे उसका निर्देश कार्य-कारिणी परिषद् को करना पड़ता है और यदि कार्यकारिणी परिषद प्रस्ताव को उसी प्रकार अथवा उसको कुछ परिवर्तित रूप में वापस भेज देता है तो कोर्ट उस प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

सभापति महोदय : कार्याकारिणी परिषद् से वापस आने पर कोर्ट उसे स्वीकार करने का अधिकारी है?

डा० एम० एम० दास : कोर्ट को उसे स्वीकार कर देने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद् के द्वारा

आना चाहिये। जहां तक संविधियों के पारित होने का प्रश्न है, दोनों निकाय एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में से कोई भी पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं है और उन्होंने अब तक अद्भुत कार्य कर दिखाया है। किसी भी निकाय को शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं मिला है। उसने विश्वविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सन्तुष्ट रखा है। यदि अब हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं, तो विश्वविद्यालय के चलाने का सारा कार्य गड़बड़ हो जायेगा और सम्भवतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में तमाम अन्य परिवर्तन करने होंगे, जो वांछित नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के अनुसार १९५१ में संशोधन किया गया था।

इसके अतिरिक्त मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं अनुभव की गई है। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति ने यह आवश्यकता अनुभव नहीं की कि जहां तक संविधियों को पारित करने का प्रश्न है, सारा अधिकार कोर्ट के हाथों में सौंप दिया जाये। वर्तमान प्रणाली से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है और सरकार इस अवस्था पर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आने देना चाहती।

श्रीमान्, मुझे खेद है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस संशोधक विधेयक को स्वीकार कर सके।

श्री रघुनाथ सिंह: पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि हमारे लायक दोस्त सरदार ए० एस० सहगल ने जो बात कही है कि यूनियन लिस्ट में यह नहीं है, उसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. ...

सभापति महोदय: चर्चाधीन विषय यह नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह: आल, राइट, सर।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमारे लायक दोस्त डा० एम० एम० दास ने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने में असमर्थ रहे। सब-सेक्सशन ६ में यह दिया न्यायालय का कोई सदस्य न्यायालय की किसी परिनियम प्रारूप का सुझाव दे सकता है और न्यायालय या तो उस प्रस्थापना को रद कर सकता है अथवा उस प्रारूप को कार्यपालिका परिषद् के विचार के लिए भेज सकता है जो चाहे तो प्रारूप को रद कर सकती है और चाहे उसे न्यायालय को भेज सकती है।"

अब जहां "रिजैक्ट" का शब्द है, उसमें हमको यह देखना है "एप्रूव" करने का राइट उसको क्यों न दिया जाय। आप जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोर्ट यनिवर्सिटी की सुप्रीम बौडी है, फ़ाइनल एथारिटी है और उसमें हिन्दुस्तान भर की जनता के डोनर्स हैं, सब रिप्रेजेंटेड हैं, लोक सभा के भी तो सदस्य उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा हमको एक बात याद रखना चाहिए कि बनारस हिन्दू युनिवरसिटी आल इंडिया युनिवरसिटी है, सारे देश के लोग और सारे राज्यों के लोग उसमें आते हैं। देश भर के धन से युनिवरसिटी की स्थापना हुई है और हिन्दू युनिवरसिटी का कोर्ट ही एक ऐसी बौडी है जिसमें साल में दो दिन या एक दिन सारे देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं। लोक सभा से जो दो सदस्य वहां भेजे जाते हैं, वह भी उसमें उपस्थित रहते हैं और जब कि हर एक मेम्बर को हर एक सदस्य को स्टैचूट के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी प्रपोज़ल कोर्ट के सामने

[श्री रघुनाथ सिंह]

ला सकते हैं बहस कर,सकते हैं और रिजैक्ट कर सकते हैं या उसका ड्राफ्ट बना कर रिकंसिड्रेशन के वास्ते भेज सकते हैं, तो क्या कारण है कि सारे देश भर के आदमी जहां बैठे हों, उसको एप्रूव नहीं कर सकते। इस वास्ते सरकार से मेरी यह इस्तदुआ है कि वह इसे स्वीकार करे आखिर कोर्ट के ऊपर आपको अविश्वास क्यों है जब कि कोर्ट सुप्रीम बौडी है, और मैं तो कहूंगा कि आप उस बौडी पर जो अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, यह अविश्वास ठीक नहीं है। अगर वह सुप्रीम बौडी है तो उसको सुप्रीम एथारिटी होनी चाहिए। वह नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। स्वीकारात्मक भी होनी चाहिए। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि यह छोटा-सा अमेंडमेंट है और शिक्षा मंत्री महोदय को मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

हमारे लायक दोस्त डा० एम० एम० दास ने कोई रीजन नहीं दिया, कोई तर्क उपस्थित नहीं किया कि आखिरकार मेरा अमेंडमेंट क्यों न स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर मेरा यह संशोधन मान लिया जाता है तो हिन्दू युनिवरसिटी के फंक्शनिंग में क्या व्यवधान उपस्थित होता है, इस पर आपने कोई बात नहीं कही, न कोई तर्क-सम्मत बात आपने पेश की कि इस कारण से मेरा संशोधन अस्वीकृत होना चाहिए। जब कि कोर्ट फाइनल अथारिटी है, सुप्रीम बौडी है और उसको प्रपोजल करने का अधिकार है, रिजैक्ट करने का अधिकार है तो उस अवस्था में उस कोर्ट पर आपको विश्वास करके उसको इस बात का भी अधिकार देना चाहिए। इस वास्ते मैं हाउस से यह प्रार्थना करता हूं कि इस छोटे से अमेंडमेंट को जो बहुत छोटा, एक शब्द का अमेंडमेंट है, इसको स्वीकार करके कोर्ट के ऊपर विश्वास करें कि अगर वह रिजेक्ट कर सकता है तो उसे एप्रूव करने का भी अधिकार दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपने बिल को फिर हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय अधिनियम १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन)

श्री झूलन सिंह (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय वयस्कता अधि-नियम, १८७५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान विधि क्या है तथा मेरे संशोधन के अनुसार विधेयक में संशोधन होने चाहिये।

वर्तमान विधि में यह उपबन्ध है कि भाग 'क' और 'ग' राज्यों का प्रत्येक व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों को छोड़ कर जिनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये, प्रतिपालक अधिकरण की नियुक्ति होती है, अठारह वर्ष में वयस्कता प्राप्त कर लेता है, किन्तु ये लोग इक्कीस वर्ष में वयस्कता प्राप्त करते हैं। मान लिया जाये कि किसी परिवार की सम्पत्ति प्रतिपालक अधिकरण के अधीक्षण में है और वह परिवार मिताक्षरा संयुक्त परिवार भी है तो सबसे बड़े भाई की अवस्था इक्कीस वर्ष हो जाने

पर उसकी सारी सम्पत्ति प्रतिपालक अधिकरण से मुक्त हो जायेगी। लेकिन उसका छोटा भाई जो कि १८ वर्ष से अधिक हो चुका है, किन्तु इक्कीस वर्ष से कम है, अब बड़े भाई के संरक्षण में रहेगा। यह असंगत बात है। क्योंकि बड़ा भाई सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने ढंग से करेगा और हो सकता है कि यह छोटे भाई के हितों के लिये हानिकर हो। मेरा संशोधन यह है कि मिताक्षरा परिवार में जहाँ एक से अधिक अवयस्क संयुक्त रूप से रहते हों वहाँ बड़े भाई के इक्कीस वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने और सम्पत्ति के युक्त होने पर छोटा भाई या भाइयों को भी १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने पर वयस्क मान लिया जाये।

सभापति महोदय : क्या इस प्रकार के मामले उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे हैं और उन पर क्या निर्णय दिया गया है?

श्री झुलन सिंह : यदि ऐसा मामला न्यायालय तक जायेगा तो उस पर वर्तमान धारा ३ ही प्रयुक्त होगी।

सभापति महोदय : देश की सामान्य विधि यह है कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में वयस्कों के रहने पर, अवयस्कों की सम्पत्ति के संरक्षण के लिये अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): क्या सम्पत्ति बिहार प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत ली गई थी?

श्री झुलन सिंह : अवश्य। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अधीन छोटे भाई को अब भी अवयस्क माना जाता है, चाहे वह १९ वर्ष का भी हो जाये। मैं आपका ध्यान इसी असंगति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : जब तक यह मामला अदालत में न जाय तब तक हम किसी व्यक्ति को वयस्क कैसे कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद उत्तर) : प्रतिपालक अधिकारण के अधीक्षरण के लिए अवस्था इक्कीस वर्ष है।

सभापति महोदय : मेरे मित्र के कथनानुसार जिस वयस्क की अवस्था इक्कीस वर्ष की हो गई, वह सम्पत्ति का अधिकारी हो गया। अब दो भाइयों का प्रश्न है। एक भाई महता है कि वह अठारह वर्ष की अवस्था में वयस्क हो गया किन्तु दूसरा उसे विधि की दृष्टि से ऐसा नहीं समझता ऐसी दशा में अदालत ही फैसला कर सकती है।

श्री झुलन सिंह : इसमें भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा ३ लागू होगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्री झूलन सिंह ने यह विधेयक अवयस्कों के हित के लिये प्रस्तुत किया है। मिताक्षरा विधि के अनुसार पुत्र, अपने जन्म के साथ ही सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है और वयस्क होने पर सम्पत्ति उसे सौंप दी जाती है। यदि अनेक भाई हों तो प्रायः ज्येष्ठ भाई सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है और वयस्कता प्राप्त करने पर अन्य भाईयों का भी सम्पत्ति पर समान अधिकार हो जाता है। मुझे आशा है कि अन्य सदस्य मिताक्षरा विधि के बारे में अधिक प्रकाश डालेंगे।

श्री पाटस्कर : मैं विधेयक के प्रस्तावक के उद्देश्य तथा उनकी कठिनाई को समझने का प्रयत्न कर रहा था

[श्री पाटस्कर]

भारतीय वयस्कता अधिनियम के खंड ३ के अनुसार किसी अव्यस्क को अपनी सम्पत्ति का अधीक्षण तब ही लौटाया जा सकता है जब वह इक्कीस वर्ष का हो जाय माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह अवस्था अठारह वर्ष रखी जाय। मुझे बिहार के प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम का पता नहीं किन्तु विभिन्न राज्यों में प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम भिन्न-भिन्न हैं। मुझे बम्बई का तो पता है। वहाँ का प्रतिपालक अधिकरण यदि किसी सम्पत्ति का अधीक्षण हाथ में लेता है तो चाहे मिताक्षरा संयुक्त परिवार हो, यही नियम लागू होता है। उसमें यदि कोई वयस्क होता है तो वही प्रबन्धक होता है। कोई अन्य संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाता। जिन व्यक्तियों के यहाँ स्वीय-विधि होती है वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है किन्तु जहाँ सभी अधिकारी अवयस्क हों वहाँ अवश्य ही संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं।

इस बारे में यह शिकायत है कि भारतीय अवयस्कता अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति पर अधिकार कर लेने पर प्रतिपालक अधिकरण उस सम्पत्ति को तब तक नहीं सौंपता जब तक व्यक्ति की अवस्था इक्कीस वर्ष की न हो जाय या वे सब व्यक्ति वयस्क न हो जायें। प्रायः ऐसा ही सर्वत्र किया जाता है।

विधेयक के प्रस्तावक यह चाहते हैं कि मिताक्षरा हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में भारतीय वयस्कता अधिनियम में यह खंड जोड़ दिया जाय कि जहाँ एक से अधिक अवस्यक हों वहाँ यह धारा केवल ज्येष्ठ पर ही लागू हो और शेष को अठारह वर्ष की अवस्था में वयस्क समझा जाय।

यदि कहीं सभी अवयस्क हों और अदालय एक संरक्षक नियुक्त करे तो वहाँ यह उपबन्ध किस प्रकार लागू होगा? जो ज्येष्ठ है वह २१ वर्ष की अवस्था में वयस्क माना जायगा, किन्तु वह यह कहेगा कि वह तो पहले ही वयस्क हो गया है। इस प्रकार अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी। वर्तमान सिद्धान्त सुन्दर है। जहाँ तक मिताक्षरा परिवार का सम्बन्ध है, उनके यहाँ संरक्षक का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ व्यक्तिगत विधियां स्वीकार कर ली जाती हैं।

केवल इतना ही नहीं, राज्य-सभा द्वारा पारित हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षण विधेयक के खंड १२ में हमने एक उपबन्ध किया है। इस सत्र के उत्तरार्द्ध में वह संभवतः सभा में प्रस्तुत होगा। चाहे दायभाग हो या मिताक्षरा हम उस उपबन्ध को अवश्य लागू करेंगे।

सभापति महोदय: स्थिति यह है कि धारा ३ में ऐसे दो या तीन अवयस्कों का उल्लेख नहीं है जहाँ उनके लिये एक ही संरक्षक नियुक्त किया जाये। श्री झुलन सिंह चाहते हैं कि उनमें से यदि एक की अवस्था २१ वर्ष की हो जाती है तो उन्हें सम्पत्ति सौंप दी जानी चाहिये।

श्री पाटस्कर: यह उपबन्ध संयुक्त परिवार लागू होगा। जहाँ एक व्यक्ति वयस्क हो वहाँ कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जायगा ऐसा अब भी होता है। इस विषय में बम्बई उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है। किन्तु, मान लीजिये कि दो अवयस्कों के लिये एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। उनमें से एक इक्कीस वर्ष का हो जाता है और दूसरा उन्नीस **वर्ष** का है। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार दूसरे को वयस्क नहीं कहा जा

सकता। अतः क्या यह वांछनीय है कि जहाँ एक वयस्क हो जाय और शेष अवयस्क हों तो उस वयस्क को सम्पत्ति सौंप दी जाय? इससे तो दूसरों के हित को हानि पहुँचेगी। बम्बई में तो जब तक वे सब वयस्क न हो जायँ, सम्पत्ति नहीं दी जाती है।

इस समस्या का एक हल है। ऐसी स्थिति में यह तर्क किया जाता है कि किसी व्यक्ति के वयस्क हो जाने पर भी उसे सम्पत्ति नहीं दी गई। प्रतिपालक अधिकरण वाले ऐसा करते हैं कि उसे आमदनी का एक अंश देते हैं। यदि ऐसा न किया जाय और उसे समस्त सम्पत्ति दे दी जाय तो वहाँ इस बात पर भली-भाँति विचार किया जाता है कि इससे दूसरों को हानि तो नहीं होगी। यदि हानि न हो तो दूसरों के अवयस्क होने पर भी सम्पत्ति दी जा सकती है।

इस आधार पर यह अधिनियम १८७५ से लागू है। कभी-कभी कोई विवाद हो सकता है किन्तु संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में यह नीति काफी सफल रही है। वयस्क और अवयस्क अधिकारियों के मामलों में यह बात प्रतिपालक अधिकरण की इच्छा पर ही छोड़ देनी चाहिये कि वयस्क को सम्पत्ति सौंपने से अवयस्क को हानि तो नहीं होगी।

सभापति महोदय: यदि अवस्था में अधिक अन्तर हो तो क्या प्रतिपालक अधिकरण तब तक अवयस्कों के लिये प्रतीक्षा करेगा जब वे वयस्क हो जायँ?

श्री पाटस्कर: यह तो सुविधा पर निर्भर करता है। यह विचार कर लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को सम्पत्ति सौंपी जाये या नहीं। ऐसा करना अवयस्क के हित में होगा या नहीं।

इस पर भी यदि वयस्क यह समझे कि प्रतिपालक अधिकरण का प्रबन्ध ठीक नहीं है तो वह अपना अंश पृथक कर सकता है। बम्बई में इस प्रकार का एक मामला आ चुका है। यह अधिनियम १८७५ से चल रहा है और कोई विशेष कठिनाई महसूस नहीं हुई है। प्रायः संयुक्त परिवारों में जहाँ एक वयस्क होता है, वहाँ कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है यह तो केवल वहाँ होता है जहाँ सब अवयस्क होते हैं। ऐसी स्थिति मे कुछ विषय मामलों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति होते हुए भी मैं यह नहीं चाहता कि जो अधिनियम ७५ वर्षों से सुचारु रूप से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन किया जाय। अतः मैं प्रस्तुत संशोधन से सहमत नहीं हूं। थोड़ी देर के लिये यही मान लिया जाय जैसा कि माननीय मित्र ने एक मामले की ओर संकेत किया है जिस के अनुसार इक्कीस वर्ष की अवस्था के किसी व्यक्ति को सम्पत्ति सौंप दी जाय तो क्या दूसरा व्यक्ति भी इक्कीस वर्ष की अवस्था में वयस्क समझा जायेगा। प्रस्तावित खंड की भाषा स्पष्ट नहीं है। जब वह वयस्क संरक्षक से सम्पत्ति अपने हाथ में ले लेगा तब भी क्या हम अवयस्क को अवयस्क ही समझते रहेंगे। इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है।

अच्छा तो यह होता कि बिहार अथवा किसी अन्य अदालत में इस विषय का निर्णय हो जाता और तदनुसार राज्यों के अधिनियम संशोधित हो जाते जहाँ तक केन्द्रीय अधिनियम का सम्बन्ध है वह ठीक चल रहा है। अतः मैं अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय अधिनियम के बजाय वे राज्यों के अधिनियम और विशेषतः बिहार के प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम में संशोधन कराने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि वे अपने संशोधन के लिये जोर नहीं देंगे।

श्री झुलन सिंह : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन को उचित महत्व नहीं दिया भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा ३ के विषय में जो कठिनाई उपस्थित होती है वह मैंने सभा को अभी बताई है। माननीय मंत्री इसे केन्द्रीय विषय न कह कर इसका नाता राज्यों से जोड़ते हैं। मैं इस विषय का निर्णय सभा और सरकार पर ही छोड़ता हूँ और ऐसी दशा में अपना विधेयक वापस लेता हूँ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृत पर दंड) विधेयक

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विदेशी राज्यों से उपाधियों तथा उपहारों की स्वीकृति पर दंड का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं।

सभापति महोदय : पाँच बज चुके हैं। आप अगले अवसर पर बोल सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ८ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।